भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (आईआरडीएआई)

मीडिया क्रय / विज्ञापन एजेंसियों के सूचीकरण हेतु प्रस्ताव के लिए अनुरोध

निविदा संदर्भ संख्याः आईआरडीएआई/पीपीएण्डजीआर/टीएनडीआर/विविध/52/3/2024

संचार स्कंध
पालिसीधारक संरक्षण और शिकायत निवारण विभाग

प्रधान कार्यालयः पालिसीधारक संरक्षण और शिकायत निवारण विभाग
भारतीय बीमा विनियामक और विकास विभाग
सर्वे सं. 115/1, फाइनैंशियल डिस्ट्रिक्ट, नानकरामगुडा
हैदराबाद 500 032

विषय-सूची

क. बोली कार्यक्रम....2
ख. परिभाषाएँ....4
ग. प्रस्तावना, उद्देश्य और आमंत्रण....6
घ. कार्य का विस्तार....7
ङ. बोलियों का प्रस्तुतीकरण....8
च. बोलियों को खोलना....11
छ. पात्रता मानदंड (अर्हकारी अपेक्षा)....11
ज. बोली मूल्यांकन प्रक्रिया....12
झ. सूचीकरण के लिए बोली लगानेवालों की चयनित सूची बनाना....13
ञ. कार्य नियत करने की प्रक्रिया....14
ट. बयाना जमा-राशि (ईएमडी)....14
ठ. स्थायी- ईएमडी (एस-ईएमडी)....15
ड. समपहरण....16
ढ. कार्यनिष्पादन प्रतिभूति (पीएस)....16
ण. सूचीकरण की अवधि और समापन....17
त. अन्य निबंधन और शर्तें....17
थ. संविदा कार्यान्वयन दिशानिर्देश और कार्यक्रम....20
द. अनुबंध....20

अनुबंध क1 – सूचीकरण के लिए प्रस्ताव....21
अनुबंध क2 – बोली लगानेवाले (बिडर) की सूचना....23
अनुबंध क3 – पात्रता मानदंड उत्तर पत्रक....25
अनुबंध क4 – तकनीकी मूल्यांकन....29
अनुबंध क4 – प्रस्तुतीकरण के लिए मूल्यांकन....32
अनुबंध क5 – आरएफपी की शर्तों की स्वीकृति के लिए घोषणा....33
अनुबंध क6 – बयाना जमा-राशि के लिए फार्मेट....34
अनुबंध क7 – बोली-पूर्व प्रश्नों के लिए फार्मेट....37
अनुबंध क8 – बोली-पूर्व संविदा सत्यनिष्ठा समझौता....38

क. बोली कार्यक्रम

क्रम सं.	**विवरण**	
1.	**परियोजना का नाम**	**मीडिया क्रय / विज्ञापन एजेंसियों के सूचीकरण हेतु प्रस्ताव के लिए अनुरोध (आरएफपी)**
2.	बोली लगानेवाले (बिडर) की संदर्भ संख्या	आईआरडीएआई/पीपी&जीआर/टीएनडीआर/विविध/52/3/2024
3.	आरएफपी जारी करने की तारीख	दिनांकः 16 मार्च, 2024 समयः अपराह्न 5:00 बजे केन्द्रीय सरकारी प्रापण पोर्टल (सीपीपी पोर्टल) के माध्यम से। अधिसूचना आईआरडीएआई वेबसाइट पर भी दी जाएगी।
4.	बोली-पूर्व प्रश्न तथा ई-मेल आईडी जिसपर उत्तर भेजे जाने चाहिए, प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख	अंतिम तारीखः 22 मार्च, 2024 समयः अपराह्न 5:00 बजे ई-मेलआईडीः communicationswing@irdai.gov.in
5.	बोली-पूर्व बैठक आयोजित करने का दिनांक, समय और स्थान	दिनांकः 27 मार्च, 2024 समयः अपराह्न 2:30 बजे आईआरडीएआई, हैदराबाद में एक **प्रत्यक्ष बैठक** के माध्यम से जिसमें **आभासी (वर्च्युअल)** तौर पर भी निम्नलिखित वेबेक्स लिंक में प्रवेश के द्वारा उपस्थित हो सकते हैं : • https://irdaivc.webex.com/irdaivc/j.php?MTID=mab84a39d7e7f7aafb4dcb5d4197ead03 बैठक संख्याः 2514 702 8552 पासवर्डः VKk2VEj8wk3 • निम्नलिखित को डायल करके वीडियो प्रणाली द्वारा 25147028552@irdaivc.webex.com
6.	बोलियाँ प्रस्तुत करने के लिए अंतिम तारीख और समय	दिनांकः 23 अप्रैल, 2024 समयः अपराह्न 5:00 बजे
7.	बोलियों का प्रस्तुतीकरण	सीपीपी पोर्टल के माध्यम से https://eprocure.gov.in
8.	बोली खोलने के लिए दिनांक, समय और स्थान	दिनांकः 25 अप्रैल, 2024 समयः अपराह्न 5:00 बजे सीपीपी पोर्टल पर
9.	प्रस्तुतीकरण (तकनीकी मूल्यांकन का भाग II) के लिए दिनांक, समय और स्थान	अर्हताप्राप्त बोली लगानेवालों को बाद में सूचित किया जाएगा

10.	बोली की लागत		
11.	बयाना जमा-राशि (ईएमडी)	रु. 30,00,000/- (केवल तीस लाख रुपये) जिसका भुगतान इलेक्ट्रानिक भुगतान (एनईएफटी/आरटीजीएस) के द्वारा अथवा बैंक गारंटी (बीजी) के द्वारा किया जाएगा। विप्रेषण/बीजी के प्रमाण की एक स्कैन की गई प्रति बोली के साथ प्रस्तुत की जाएगी।	
12.	संपर्क के लिए पता	महाप्रबंधक, पालिसीधारक संरक्षण और शिकायत निवारण विभाग (पीपीजीआरडी), भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (आईआरडीएआई) सर्वे सं. 115/1, फाइनैंशियल डिस्ट्रिक्ट, नानकरामगुडा, गच्चीबाउली हैदराबाद – 500 032	
13.	संपर्क का विवरण	ए. वेंकटेश्वर राव (महाप्रबंधक)	नीतू एस. (उप महाप्रबंधक)
		communicationswing@irdai.gov.in	
		आरएफपी के संबंध में किन्हीं प्रश्नों और स्पष्टीकरणों के लिए उपर्युक्त पते का अथवा ई-मेल आईडी का प्रयोग करें।	

टिप्पणियाँ :

i) कृपया ध्यान रखें कि आरएफपी में अपेक्षित सूचना पूर्णतः प्रस्तुत की जानी चाहिए। अधूरी सूचना देने से बोली अस्वीकार की जा सकती है।

ii) भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (आईआरडीएआई) के पास इस `प्रस्ताव के लिए अनुरोध' (आरएफपी) में उल्लिखित तारीखों में परिवर्तन करने का अधिकार सुरक्षित है, जिसकी सूचना केन्द्रीय सरकारी प्रापण पोर्टल (सीपीपी पोर्टल) के माध्यम से तथा आईआरडीएआई की वेबसाइट के द्वारा दी जाएगी।

iii) इस आरएफपी दस्तावेज में निहित सूचना अथवा बोली लगानेवालों (बिडरों) को बाद में आईआरडीएआई के द्वारा अथवा उनकी ओर से मौखिक रूप से अथवा दस्तावेजी रूप में उपलब्ध कराई जानेवाली सूचना इस आरएफपी दस्तावेज में निर्धारित निबंधनों और शर्तों के अधीन उपलब्ध कराई जाती है।

iv) यह आरएफपी न तो कोई करार है और न ही कोई प्रस्ताव। इस आरएफपी का उद्देश्य बोली लगानेवाले(वालों) को उनकी बोलियाँ बनाने में उनकी सहायता करने के लिए सूचना उपलब्ध कराना है। यह आरएफपी ऐसा कोई दावा नहीं करता कि इसमें प्रत्येक बोली लगानेवाले के लिए आवश्यक समस्त सूचना निहित है। प्रत्येक /बोली लगानेवाला अपना स्वयं का अन्वेषण और विश्लेषण संचालित करे तथा इस आरएफपी में निहित सूचना के सहीपन, विश्वसनीयता और संपूर्णता की जाँच करे और जहाँ भी आवश्यक हो वहाँ स्वतंत्र सलाह प्राप्त करे। आईआरडीएआई इस आरएफपी के सहीपन, विश्वसनीयता अथवा संपूर्णता के संबंध में कोई

निरूपण नहीं करता तथा किसी विधि, संविधि, नियमों अथवा विनियमों के अंतर्गत कोई भी दायित्व स्वीकार नहीं करेगा। आईआरडीएआई अपने संपूर्ण विवेक के अनुसार, परंतु ऐसा करने के लिए किसी भी बाध्यता के अधीन न रहते हुए, इस आरएफपी में निहित सूचना को अद्यतन कर सकता है/ इसमें संशोधन कर सकता है और/या संपूरण कर सकता है। इस आरएफपी में इस प्रकार के अद्यतनीकरण/संशोधन और /या संपूरण को सीपीपी पोर्टल पर प्रकाशित किया जाएगा।

v) आरएफपी प्रक्रिया से कोई भी संविदागत दायित्व किसी भी प्रकार से उत्पन्न नहीं होगा, जब तक एक औपचारिक संविदा आईआरडीएआई के विधिवत् प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता और चयनित एजेंसी/एजेंसियों के द्वारा निष्पादित नहीं की जाती।

ख. परिभाषाएँ

1. **प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ताः** प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता वह व्यक्ति है जिसे औपचारिक रूप से आधिकारिक दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने के लिए तथा विभिन्न लेनदेनों में किसी संस्था या कंपनी का प्रतिनिधित्व करने के लिए कानूनी प्राधिकार दिया गया है।

2. **बोली/प्रस्तावः** यह इस `प्रस्ताव के लिए अनुरोध' के प्रत्युत्तर में एक मीडिया एजेंसी के रूप में सूची में सम्मिलित किये जाने के लिए किसी बोली लगानेवाले (बिडर) के द्वारा प्रस्तुत एक औपचारिक प्रस्ताव है।

3. **बोली लगानेवाला (बिडर):** एक मीडिया क्रय/विज्ञापन एजेंसी के रूप में सूची में सम्मिलित किये जाने के लिए इस प्रतिस्पर्धी बोली लगाने की (बिडिंग) प्रक्रिया में भाग लेनेवाली कोई संस्था।

4. **क्रेताः** आरएफपी जारी करने के द्वारा संभावित बोली लगानेवालों (बिडर्स) से प्रस्तावों/ बोलियों/आवेदनों की अपेक्षा करनेवाला संगठन/संस्था। इस आरएफपी में इससे आईआरडीएआई अभिप्रेत है।

5. **सर्जनात्मक एजेंसीः** सर्जनात्मक एजेंसी विषय-वस्तु के निर्माण के लिए एक विशेषीकृत फर्म है जो विभिन्न मंचों और प्रयोजनों के लिए रोचक और सम्मोहक विषय-वस्तु को विकसित करने और उसका निर्माण करने पर संकेन्द्रण करता है।

6. **केन्द्रीय संचार केन्द्र (सीबीसी) की दरें:** मीडिया विज्ञापन जारी करने के लिए स्थान खरीदने हेतु दृश्य-श्रव्य प्रचार विभाग (डीएवीपी) की वेबसाइट पर प्रकाशित मानक दरें।

7. **पात्रता मानदंडः** पात्रता मानदंड उन विशिष्ट अपेक्षाओं और शर्तों को निरूपित करते हैं जो एक बोली प्रस्तुत करने के लिए अर्हताप्राप्त समझे जाने के लिए संभावित बोली लगानेवालों के द्वारा अवश्य पूरे किये जाने चाहिए।

8. **ईएमडीः** बयाना जमा-राशि (ईएमडी) बोली लगाने की (बिडिंग) प्रक्रिया का समुचित पालन/ अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए किसी बोली लगानेवाले (बिडर) के द्वारा दी जानेवाली प्रतिभूति जमाराशि है।

9. **सूचीबद्ध एजेंसी/एजेंसियाँ:** चयनित एजेंसियाँ जिन्हें क्रेता के द्वारा उन्हें नियत किये गये विशिष्ट कार्य संपन्न करने/निष्पादित करने के लिए सूचीबद्ध किया जाता है।

10. **प्रभाव संपत्तियाँ:** यह मीडिया प्लेटफार्म, माध्यम, अथवा विषय-वस्तु की विशिष्ट विशेषताओं या तत्वों को निरूपित करता है जिनका उल्लेखनीय प्रभाव, कौन बनेगा करोड़पति (केबीसी), इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल), आदि जैसे अभियानों की प्रभावकारिता और सफलता पर पड़ता है।

11. **सत्यनिष्ठा समझौता (आईपी):** उक्त आईपी आवश्यक रूप से संभावित विक्रेताओं/ बोली लगानेवालों (बिडरों) और आईआरडीएआई के बीच एक करार को परिकल्पित करता है जो दोनों पक्षों के व्यक्तयों/अधिकारियों को संविदा के किसी भी पहलू में किसी भी स्तर पर किसी भ्रष्ट पद्धति का सहारा न लेने के लिए वचनबद्ध करता है।

12. **आईआरडीएआईः** भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण।

13. **मीडिया/विज्ञापन एजेंसीः** एक संस्था जो विभिन्न मीडिया माध्यमों में अभियानों की आयोजना, क्रय, तथा विज्ञापन और विपणन का निष्पादन करने में विशेषज्ञता प्राप्त है।

14. **मीडिया बिलिंगः** मीडिया एजेंसियों के द्वारा दी गई सेवाओं के लिए ग्राहकों अथवा विज्ञापनदाताओं से इस संबंध में बीजक बनाने और प्रभार वसूल करने की प्रक्रिया।

15. **मीडिया क्रयः** विभिन्न क्रेताओं द्वारा विज्ञापन प्रदर्शित करने अथवा प्रसारित करने के लिए विभिन्न मीडिया चैनलों पर विज्ञापन का स्थान अथवा समय खरीदने की प्रक्रिया।

16. **मीडिया/विज्ञापन अभियानः** मीडिया अभियान, संवर्धनात्मक प्रयासों की एक समन्वित श्रृंखला है जो एक विशिष्ट संदेश संप्रेषित करने या कोई विशिष्ट लक्ष्य प्राप्त करने के लिए विभिन्न मीडिया चैनलों का उपयोग करता है।

17. **पक्षकारः** पक्षकार/पक्षकारों से बोली लगानेवाला (बिडर) और/या आईआरडीएआई अभिप्रेत होगा, जो सामान्यतः इस आरएफपी में उल्लिखित है तथा अधिक विशिष्ट रूप से सत्यनिष्ठा समझौते (अनुबंध क8) में संदर्भित है।

18. **कार्यनिष्पादन प्रतिभूतिः** संविदा का समुचित कार्यनिष्पादन सुनिश्चित करने के लिए, चयनित एजेंसी से कार्यनिष्पादन प्रतिभूति प्राप्त की जाएगी, जिसे संविदा प्रदान की जाती है।

19. **प्रस्ताव के लिए अनुरोध (आरएफपी):** प्रस्ताव के लिए अनुरोध (आरएफपी), मीडिया एजेंसियों के रूप में सूची में सम्मिलित करने के लिए अर्हताप्राप्त बोली लगानेवालों (बिडरों) से प्रस्तावों की अपेक्षा करते हुए आईआरडीएआई द्वारा जारी किया गया औपचारिक दस्तावेज है।

20. **चयनित एजेंसी/एजेंसियाँ:** ऐसे बोली लगानेवाले (बिडर) जो अपेक्षित न्यूनतम तकनीकी अंकों के साथ तकनीकी मूल्यांकन में अर्हता प्राप्त करते हैं, जो क्रेता द्वारा सूचीबद्ध किये जाने के लिए पात्र बन जाते हैं।

21. **चयनित एजेंसीः** सूची में सम्मिलित कोई ऐसी एजेंसी जिसे उसके लिए नियत किये गये कार्य को संपन्न करने/निष्पादित करने के लिए संविदा प्रदान की जाती है।

22. **एस-ईएमडीः** स्थायी – बयाना जमा-राशि (एस-ईएमडी) एक प्रतिभूति जमाराशि है जो सूची में शामिल करने के बाद अपने दायित्वों का समुचित कार्यनिष्पादन सुनिश्चित करने के लिए सूचीकरण के लिए चयनित एजेंसी से ली जाती है।

23. सभी अन्य अभिव्यक्तियों, जो इस आरएफपी में परिभाषित नहीं हैं, के अर्थ वही होंगे जो सामान्य वित्तीय नियम (जीएफआर) 2017 तथा परामर्शकार्य और अन्य सेवाओं के प्रापण के लिए मैनुअल, अथवा उनके पुनः अधिनियमन अथवा वाणिज्यिक भाषा-शैली में यथाप्रयुक्त रूप में, जैसी स्थिति हो, के अंतर्गत उनके लिए निर्धारित किये गये हैं।

24. इस समूचे आरएफपी दस्तावेज में, निम्नलिखित शब्दों के अर्थ और आरएफपी में कहीं भी आनेवाले उनके व्युत्पन्नियों के अर्थ समान होंगे तथा वे परस्पर समानार्थी हैं :
    i) बोली/ आरएफपी / निविदा
    ii) बोली लगानेवाला / निविदाकार
    iii) बोली लगाना (बिडिंग) / निविदा देना
    iv) बोली लगाने का (बिडिंग) दस्तावेज / निविदा दस्तावेज
    v) क्रेता / आईआरडीएआई
    vi) बोली प्रतिभूति / बयाना जमा-राशि
    vii) प्रतिभूति जमाराशि/कार्यनिष्पादन प्रतिभूति/कार्यनिष्पादन गारंटी

ग. प्रस्तावना, उद्देश्य और आमंत्रण

1. भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (आईआरडीएआई) भारत में बीमा क्षेत्र के समग्र पर्यवेक्षण और विकास के लिए संसद के एक अधिनियम, अर्थात् बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 (आईआरडीए अधिनियम, 1999) के अधीन बनाया गया एक सांविधिक निकाय है। देश के आर्थिक विकास में आईआरडीएआई की एक प्रमुख भूमिका है तथा यह एक प्रभावी सामाजिक विकास एजेंडा को भी संचालित करता है।

2. वित्तीय साक्षरता और जागरूकता के माध्यम से उपभोक्ता संरक्षण आईआरडीएआई का एक महत्वपूर्ण कार्य है। इस कार्य के विस्तार के अंतर्गत, आईआरडीएआई ने "2047 तक सबके लिए बीमा – जीवन, गैर-जीवन और स्वास्थ्य बीमा" शीर्षक एक जागरूकता पहल प्रारंभ की है। उक्त पहल का अंतिम उद्देश्य जनसंचार माध्यम के द्वारा जनता के सदस्यों को सूचना का प्रसार करने के लिए मल्टीमीडिया, बहुभाषी अभियान संचालित करते हुए अंतिम लक्ष्य (लास्ट मील) कवरेज प्राप्त करने के लिए देश में बीमा व्यापन में वृद्धि करना है।

3. सार्वजनिक जागरूकता विज्ञापनों के अतिरिक्त, सांविधिक/अन्य प्रकार के विज्ञापन, जैसे निविदाएँ, नोटिस, वित्तीय परिणाम, भर्ती अधिसूचनाएँ, आदि के क्रय और प्रकाशन भी सूचीबद्ध एजेंसी/एजेंसियों के माध्यम से होगा।

4. उपर्युक्त प्रयोजन के लिए, आईआरडीएआई मीडिया में स्थान खरीदने के लिए प्रतिष्ठित, प्रामाणिक मीडिया एजेंसियों के सूचीकरण हेतु आवेदन आमंत्रित करता है। सूचीबद्ध एजेंसियों से अपेक्षित होगा कि वे आईआरडीएआई को मीडिया कार्यनीति सुझाएँ तथा विज्ञापन प्रकाशित करने के लिए विभिन्न मीडिया में स्थान की खरीद करें।

5. उक्त अभियान कम से कम चौदह (14) भाषाओं, अर्थात् हिन्दी, असमी, बंगला, मलयालम, गुजराती, कन्नड, मराठी, उड़िया, पंजाबी, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू और अंग्रेजी में, क्षेत्रीय भाषाओं पर अधिक फोकस के साथ प्रकाशित किया जाएगा।

6. मीडिया मिश्रण में प्रिंट (समाचारपत्र, पत्रिकाएँ), रेडियो, टेलीविज़न, सिनेमा हाल, डिजिटल मीडिया (वेब पोर्टलों और सोशल मीडिया सहित), मोबाइल फोन संचार, रेलवे/मेट्रो स्टेशनों सहित सार्वजनिक परिवहन, आउटडोर, आदि शामिल होंगे। यह सूची केवल निदर्शी है तथा ऊपर न गिने गये अन्य मीडिया को इसमें शामिल किया जा सकता है। सही मीडिया मिश्रण का निर्णय आईआरडीएआई द्वारा संदेशों के स्वरूप और आईआरडीएआई द्वारा अनुमोदित कार्यनीति के आधार पर किया जाएगा।

घ. कार्य का विस्तार

1. आईआरडीएआई के सार्वजनिक जागरूकता अभियान संपूर्ण मल्टी-मीडिया, बहुभाषी, अखिल भारत स्तरीय अभियान होंगे। उक्त अभियानों का उद्देश्य समाज के विभिन्न वर्गों के बीच बीमा की आवश्यकता के बारे में सामान्य जागरूकता का निर्माण करना है, जैसे बीमा ग्राहक, बीमाकर्ता, बीमा मध्यवर्ती और कुल मिलाकर जनसाधारण (विशेष रूप से ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों का)। इसके साथ ही, आईआरडीएआई सांविधिक/अन्य प्रकार के विज्ञापन प्राथमिक तौर पर समाचारपत्रों में प्रकाशित करना चाहता है।

2. लक्ष्य पाठकगण की व्यापक समझ के आधार पर, मीडिया एजेंसी/ एजेंसियाँ मीडिया के एक इष्टतम मिश्रण की सिफारिश करते हुए एक विस्तृत मीडिया कार्यनीति / योजना सुझाएगी/सुझाएँगी, जिसमें प्रिंट, टेलीविज़न, रेडियो, आउटडोर (सार्वजनिक परिवहन, रेलवे/मेट्रो स्टेशनों सहित), आनलाइन, डिजिटल मीडिया (वेब-पोर्टल और सोशल मीडिया सहित) और/या कोई अन्य शामिल हैं। मीडिया एजेंसी/एजेंसियाँ मीडिया की आयोजना से संबंधित विभिन्न पहलुओं पर आईआरडीएआई को परामर्श देगी/देंगी जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं :

2.1 क्रेता के द्वारा अंतिम रूप दिये जाने के लिए टेलीविज़न चैनलों, समाचारपत्रों, पत्रिकाओं, रेडियो चैनलों, आउटडोर विकल्पों, डिजिटल मीडिया (वेब-पोर्टल और सोशल मीडिया सहित), मोबाइल फ़ोन संचार और विज्ञापन के कोई अन्य नवोन्मेष माध्यम जैसे उपयुक्त/उचित मीडिया मिश्रण की सिफारिश;

2.2 विभिन्न प्रकार के मीडिया के बीच और ऊपर पैरा ग (5) में उल्लिखित रूप में कम से कम 14 (चौदह) प्रमुख भारतीय भाषाओं में अभियान की उद्भावना, विकास, आयोजना और कार्यनिष्पादन;

2.3 लक्ष्य प्राथमिकता बाजारों, खंडों और पाठकों/दर्शकों, तर्काधार, दृष्टिकोण, आदि की पहचान तथा पहुँच और प्रभाव के संबंध में उपलब्ध मीडिया अनुसंधान के आधार पर विभिन्न बाजारों और खंडों के लिए उपयुक्त मीडिया की सिफारिश;

2.4 विभिन्न मीडिया में संचार (अवधि और आवधिकता सहित) का कार्यक्रम बनाना, तथा यह सुनिश्चित करने के लिए निरंतर निगरानी करना कि अभियान उद्दिष्ट/ अभिकल्पित रूप में संचालित किये जा रहे हैं एवं बीजकों के बिलिंग / भुगतान, कार्यान्वयन, प्रमाणीकरण. अभिलेखीकरण, आदि के साथ, संबंधित क्रय के बाद के विश्लेषण उपलब्ध कराना;

2.5 आईआरडीएआई को प्रस्तुत करने के लिए समाचारपत्रों, पत्रिकाओं से प्रकाशित विज्ञापनों की प्रतियाँ तथा टीवी और रेडियो पर प्रसारित विज्ञापनों के प्रसारण प्रमाणपत्र संगृहीत करना;

2.6 अभियान की पहुँच और प्रभाव का आकलन करने के लिए तथा यह पता लगाने के लिए कि क्या मीडिया योजनाओं के उद्देश्य / लक्ष्य प्राप्त किये गये हैं, अभियान से पहले की और अभियान के बाद की मूल्यांकन रिपोर्ट प्रस्तुत करना। यदि अपेक्षित हो तो ऐसी मूल्यांकन रिपोर्टें भी आवधिक आधार पर माँगी जा सकती हैं;

2.7 आईआरडीएआई के मीडिया अभियान निष्पादित करने और कार्यान्वित करने के लिए मीडिया और सृजनात्मक कार्यनीतियों के प्रभावी विलयन हेतु आईआरडीएआई की सृजनात्मक एजेंसी/एजेंसियों के साथ संपर्क रखना;

2.8 निम्नतम मीडिया लागत और निवेश पर अधिकतम प्रतिलाभ (आरओआई) के लिए मीडिया मालिकों (प्रिंट, टीवी, रेडियो, सिनेमा, डिजिटल या कोई अन्य) के साथ समझौता वार्ता करना तथा क्रय-पूर्व अनुमान प्रस्तुत करना;

3. आईआरडीएआई के `सार्वजनिक जागरूकता अभियान' के लिए, जो पूर्णतः जनहित में है, सभी विज्ञापन केन्द्रीय संचार ब्यूरो (सीबीसी) की दरों या उनसे निम्नतर दरों पर प्रकाशित किये जाएँगे। तथापि, प्रभाव संपत्तियों से संबंधित प्रकाशनों के लिए, कार्य प्रदान करने के लिए एजेंसी का चयन करने हेतु सूचीबद्ध एजेंसियों के बीच एक ई-निविदा जारी की जाएगी।

4. इस आरएफपी के अंतर्गत सेवाओं के लिए अनंतिम लागत वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान लगभग रुपये 30 (तीस) करोड़ होगी और वर्षानुवर्ष आधार पर इसमें वृद्धि होने की संभावना है।

ङ. बोलियों का प्रस्तुतीकरण

1. बोली दस्तावेज https://eprocure.gov.in (सीपीपी पोर्टल) से डाउललोड किया जा सकता है।

2. यह आरएफपी दस्तावेज सभी संबंधित अनुबंधों (अनुबंध क6 में निर्धारित फार्मेट के अनुसार बीजी की स्कैन की गई प्रति सहित) और संबंधित समर्थक दस्तावेजों के साथ केवल सीपीपी पोर्टल (https://eprocure.gov.in) में ही अपलोड करने चाहिए।

3. इस आरएफपी के लिए दस्तावेज शुल्क शून्य है।

4. अंतिम तारीख और समय (ऊपर पैराग्राफ क में बोली कार्यक्रम में यथानिर्धारित) के बाद प्राप्त बोलियों पर विचार नहीं किया जाएगा।

5. आईआरडीएआई के पास इस आरएफपी में उल्लिखित दिनांक परिवर्तित करने का अधिकार सुरक्षित है, जिसकी सूचना सीपीपी पोर्टल और आईआरडीएआई की वेबसाइट के द्वारा दी जाएगी।

6. आईआरडीएआई अपने विवेकानुसार, बोली लगाने के दस्तावेजों में संशोधन करने के द्वारा बोलियों के प्रस्तुतीकरण के लिए इस अंतिम समय-सीमा को बढ़ा सकता है जिसकी सूचना आईआरडीएआई द्वारा दी जाएगी, जिस स्थिति में आईआरडीएआई और बोली लगानेवालों के सभी अधिकार और दायित्व उसके बाद विस्तार की गई समय-सीमा के अधीन होंगे।

7. सभी अनुबंधों सहित बोली सभी प्रकार से पूर्ण होनी चाहिए तथा इस आरएफपी में विनिर्दिष्ट रूप में सभी संगत दस्तावेजों के साथ प्रस्तुत की जानी चाहिए। अधूरी बोलियाँ अस्वीकृत की जाएँगी।

8. बोलियाँ जो निर्धारित फार्मेट में नहीं होंगी तथा अपेक्षित सूचना से युक्त नहीं होंगी, किसी सूचना के बिना अस्वीकार की जाएँगी।

9. बोली लगानेवाले (बिडर) आईआरडीएआई द्वारा गठित मूल्यांकन समिति द्वारा निर्धारण के लिए तकनीकी निविष्टियों सहित अपनी बोली की तैयारी, और प्रस्तुतीकरण से संबद्ध सभी व्यय वहन करेंगे। बोली लगाने (बिडिंग) की प्रक्रिया के परिणाम का विचार किये बिना, इन व्ययों के लिए किसी भी स्थिति में आईआरडीएआई को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकेगा।

10. बोली लगानेवाले (बिडर) द्वारा तैयार की गई बोलियाँ तथा बोली लगानेवाले और आईआरडीएआई द्वारा विनिमय किये गये बोलियों से संबंधित समस्त पत्र-व्यवहार और दस्तावेज केवल अंग्रेजी भाषा में होंगे। बोली प्रस्तुत करने के बाद बोली दस्तावेज के किसी खंड/उपबंध को समझने या उसका अर्थनिर्णय करने में बोली लगानेवाले की ओर से मतभेद होने की स्थिति में आईआरडीएआई द्वारा अर्थनिर्णय और इस संबंध में उसका निर्णय अंतिम, निर्णायक और बोली लगानेवाले पर बाध्यकारी होगा।

11. प्रस्ताव अमिट स्याही में / टंकित रूप में तैयार किये जाएँगे, तथा प्रत्येक पृष्ठ पर प्राधकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा विधिवत् हस्ताक्षर किये जाएँगे। उसमें बोली लगानेवाले के द्वारा त्रुटियों को सुधारने के लिए आवश्यक रूप में किये गये संशोधनों को छोड़कर पंक्तियों के बीच लिखी हुई कोई सामग्री नहीं होगी अथवा कोई उपरिलेखन नहीं होगा। ऐसे कोई भी संशोधन प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा अनिवार्यतः अधिप्रमाणित किये जाने चाहिए।

12. बोलियाँ बोली को खोलने की तारीख से 90 (नब्बे) दिन की अवधि के लिए विधिमान्य होंगी। किसी पत्र-व्यवहार के बिना, प्रतिक्रिया-रहित रूप में 90 (नब्बे) दिन से कम समय के लिए विधिमान्य किसी बोली को अस्वीकार करने का अधिकार आईआरडीएआई के पास सुरक्षित है।

13. अपवादात्मक परिस्थितियों में, बोली की विधिमान्यता अवधि की समाप्ति से पहले आईआरडीएआई 3 (तीन) महीने से अनधिक अवधि के लिए विधिमान्यता अवधि का विस्तार

करने हेतु बोली लगानेवालों की सहमति के लिए अनुरोध कर सकता है। उक्त अनुरोध और उत्तर लिखित में होंगे। बोली लगानेवाले के द्वारा विधिमान्यता अवधि का विस्तार शर्त-रहित और अप्रतिसंहरणीय होना चाहिए। यदि आवश्यक हो तो ईएमडी के लिए दी गई बैंक गारंटी का भी उपयुक्त रूप में विस्तार किया जाएगा। बोली लगानेवाले जो उक्त विस्तार के लिए सहमति नहीं देंगे, प्रतिक्रिया-रहित माने जाएँगे।

14. **बोली-पूर्व बैठकः** इस आरएफपी/बोली दस्तावेज से संबंधित विषयों पर बोली लगानेवालों की शंकाओं को दूर करने के लिए, आईआरडीएआई 27 मार्च, 2024 को अपराह्न 2:30 बजे दोनों प्रत्यक्ष और आभासी (वर्च्युअल) पद्धतियों में एक बोली-पूर्व बैठक आयोजित करेगा। बोली लगानेवालों के प्रश्न अनुबंध क7 में दिये गये फार्मेट में ई-मेल द्वारा communicationswing@irdai.gov.in को 22 मार्च, 2024 को अपराह्न 5:00 बजे या उससे पहले पहुँच जाने चाहिए। यह ध्यान रखा जाए कि ऊपर उल्लिखित दिनांक के बाद किसी भी बोली लगानेवाले का कोई भी प्रश्न प्राप्त नहीं किया जाएगा अथवा उसपर विचार नहीं किया जाएगा। कोई भी स्पष्टीकरण (यदि आवश्यक हो) सीपीपी पोर्टल पर दिये जाएँगे। आईआरडीएआई के पास बोली-पूर्व बैठक में विचार-विमर्श किये गये स्पष्टीकरणों/सुझावों के आधार पर उपयुक्त रूप में इस आरएफपी में संशोधन/आशोधन करने का अधिकार सुरक्षित है।

15. **बोली-पूर्व संविदा सत्यनिष्ठा समझौताः** बोली लगानेवाला अनुबंध क8 में निर्धारित रूप में बोली-पूर्व संविदा सत्यनिष्ठा समझौता भी प्रस्तुत करेगा जिसपर बोली लगानेवाले के द्वारा प्रत्येक पृष्ठ पर विधिवत् हस्ताक्षर किये जाएँगे तथा इसकी दो व्यक्तियों के द्वारा गवाही दी जाएगी। यह करार उस राज्य के लिए यथाप्रयोज्य रूप में मुद्रांकित किया जाएगा जहाँ यह निष्पादित किया जाएगा। बोली-पूर्व संविदा सत्यनिष्ठा समझौते के बिना प्रस्तुत बोली पर विचार नहीं किया जाएगा। भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण ने श्री राजेश रंजन, आईपीएस (सेवानिवृत्त) को एक स्वतंत्र बाह्य मानिटर के रूप में नियुक्त किया है जो स्वतंत्र रूप से, निष्पक्ष तौर पर और वस्तुनिष्ठ रूप में समीक्षा करेंगे कि क्या उक्त समझौते के अधीन पक्षकार दायित्वों का अनुपालन कर रहे हैं और वे किस सीमा तक अनुपालन कर रहे हैं।

16. एक बार प्रस्तुत की गई बोलियाँ बोली लगानेवाले के द्वारा वापस नहीं ली जा सकतीं तथा इन्हें अंतिम माना जाएगा।

17. किसी भी बोली को या सभी बोलियों को स्वीकार करने के लिए आईआरडीएआई बाध्य नहीं है तथा कोई कारण बताये बिना, अथवा कोई देयता या दायित्व को वहन किये बिना आरएफपी प्रक्रिया को (पूर्णतः या किसी भी स्तर पर) निरस्त करने का अधिकार आईआरडीएआई के पास सुरक्षित है। आईआरडीएआई के पास आरएफपी पुनः जारी करने का अधिकार सुरक्षित है, यदि वह ऐसा करने का निर्णय लेता है।

18. बोली लगानेवाला (बिडर) अपनी बोली निम्नलिखित दस्तावेजों के साथ https://eprocure.gov.in पर प्रस्तुत करेगाः

क्रम सं.	**संबंधित अनुबंधों में अपेक्षित रूप में समर्थक दस्तावेजों के साथ संलग्न किये जानेवाले अनुबंधों का विवरण**	**संलग्न किया जाए, और अनुबंध सं. के रूप में चिह्नित किया जाए**
निम्नलिखित के साथ प्रत्येक पृष्ठ पर प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के द्वारा विधिवत् हस्ताक्षरित आरएफपी दस्तावेजः		
i.	सूचीकरण के लिए प्रस्ताव	**अनुबंध क1**
ii.	बोली लगानेवाले से संबंधित सूचना	**अनुबंध क2**
iii.	पात्रता मानदंड मैट्रिक्स की अपेक्षाओं के अनुसार, समर्थक दस्तावेजों के साथ पात्रता मानदंड उत्तर पत्रक	**अनुबंध क3**
iv.	तकनीकी मूल्यांकन मैट्रिक्स की अपेक्षाओं के अनुसार, समर्थक दस्तावेजों के साथ तकनीकी मूल्यांकन पत्रक	**अनुबंध क4**
v.	आरएफपी निबंधनों और शर्तों की स्वीकृति की घोषणा	**अनुबंध क5**
vi.	यदि ईएमडी अप्रतिसंहरणीय बैंक गारंटी के रूप में प्रस्तुत की जाती है, तो बयाना जमा-राशि (ईएमडी) के लिए फार्मेट बोली लगानेवाले के द्वारा किसी अनुसूचित वाणिज्य बैंक के माध्यम से प्रस्तुत किया जाए।	**अनुबंध क6**
vii.	बोली-पूर्व प्रश्नों के लिए फार्मेट	**अनुबंध क7**
viii.	बोली-पूर्व संविदा सत्यनिष्ठा समझौता	**अनुबंध क8**

च. बोलियों को खोलना

1. आईआरडीएआई बोली कार्यक्रम (ऊपर का पैराग्राफ-क) में यथाउल्लिखित विनिर्दिष्ट दिनांक और समय पर अथवा आईआरडीएआई द्वारा यथासंशोधित रूप में बोलियाँ सीपीपी पोर्टल पर इलेक्ट्रानिक तौर पर खोलेगा।

2. यदि आरएफपी को खोलने के लिए नियत दिनांक को बाद में छुट्टी का दिन घोषित किया जाता है, तो संशोधित कार्यक्रम सीपीपी पोर्टल के माध्यम से और आईआरडीएआई की वेबसाइट के द्वारा अधिसूचित किया जाएगा। तथापि, ऐसी अधिसूचना के अभाव में बोलियों को समय में किसी परिवर्तन के बिना अगले कार्य-दिवस को खोला जाएगा।

छ. पात्रता मानदंड (अर्हकारी आवश्यकता)

1. अपनी बोलियाँ प्रस्तुत करने के लिए इच्छुक बोली लगानेवालों से अनुरोध है कि पात्रता मानदंड सावधानीपूर्वक पढ़ें। केवल वे ही बोली लगानेवाले आवेदन करने के लिए पात्र हैं जो आरएफपी की तारीख को पात्रता मानदंड (अनुबंध क3) पूरे करते हैं। पात्रता मानदंड पूरे न करनेवाले बोली लगानेवालों पर किसी भी स्थिति में आगे के मूल्यांकन के लिए विचार नहीं किया जाएगा।

2. बोली लगाने की (बिडिंग) प्रक्रिया में भाग लेने के लिए बोली लगानेवालों की पात्रता का निर्धारण करने के लिए आईआरडीएआई सर्वप्रथम इस दस्तावेज के अनुबंध क3 में अपेक्षित और सूचीबद्ध दस्तावेजों की संवीक्षा करेगा।

3. बोलियाँ जिनके साथ सभी निर्धारित/अपेक्षित दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये जाते, अस्वीकृत की जाएँगी। किसी भी पात्रता दस्तावेज की बाद में प्रस्तुति के लिए वचनपत्र पर विचार नहीं किया जाएगा। तथापि, प्रस्तुत किये जा चुके दस्तावेजों के संबंध में स्पष्टीकरण माँगने का अधिकार आईआरडीएआई के पास सुरक्षित है।

4. आईआरडीएआई, यदि अपेक्षित हो तो बोली लगानेवालों के द्वारा प्रस्तुत किये गये ग्राहक संदर्भों के साथ संपर्क करेगा।

ज. बोली मूल्यांकन प्रक्रिया

1. **बोलियों का तकनीकी मूल्यांकनः** उक्त तकनीकी मूल्यांकन दो भागों में किया जाएगाः

1.1 तकनीकी मूल्यांकन का भाग I:

1.1.1 आईआरडीएआई दस्तावेजी प्रमाण द्वारा विधिवत् समर्थित, इस आरएफपी के अनुबंध क4 में निर्धारित तकनीकी अपेक्षाओं के अनुपालन के आधार पर बोली लगानेवालों का मूल्यांकन करेगा। उक्त मूल्यांकन का भाग। उक्त मानदंड और अनुबंध क4 में यथापरिभाषित स्कोरिंग मैट्रिक्स में दिये गये स्कोर के आधार पर होगा। इसमें 100 अंक होंगे।

1.1.2 आईआरडीएआई द्वारा माँगे गये स्पष्टीकरण के प्रत्युत्तर में प्रस्तुत किये गये लिखित उत्तर की समीक्षा की जाएगी (पैरा छ(3) – पात्रता मानदंड)।

1.1.3 आईआरडीएआई उन ग्राहकों के साथ चर्चा कर सकता है, जिनके संदर्भ बोली लगानेवाले के द्वारा दिये गये हैं (पैरा छ(4) – पात्रता मानदंड)।

1.1.4 बोली लगानेवालों को एक वचनपत्र आईआऱडीएआई को देना होगा कि एक बार चयन किये जाने पर वे उक्त शर्त [अनुबंध क4 (10)] का अनुपालन करेंगे। यदि कोई बोली लगानेवाला किसी भी प्रकार से अपनी वचनबद्धता में चूक करता है, अथवा बोली लगानेवाले के द्वारा उल्लिखित संचलन आंकड़े संचलन स्थल के लेखा-परीक्षा केन्द्र (एबीसी) पर उल्लिखित संचलन आंकड़ों की तुलना में गलत पाये जाते हैं, तो इसे बोली लगानेवाले के द्वारा कार्यनिष्पादन के अभाव के रूप में माना जाएगा तथा आईआरडीएआई उक्त बोली लगानेवाले को काली सूची में दर्ज कर सकता है।

1.1.5 बोली लगानेवाले जो तकनीकी मूल्यांकन प्रक्रिया के भाग। (अनुबंध क4 का भाग I) में 100 में से न्यूनतम 70 अंक प्राप्त करते हैं, आईआरडीएआई के समक्ष प्रस्तुतीकरण करने के लिए पात्र होंगे।

1.1.6 यदि तकनीकी मूल्यांकन के भाग। में अर्हताप्राप्त बोली लगानेवालों की संख्या अपर्याप्त पाई जाती है, तो आईआरडीएआई के पास न्यूनतम अपेक्षित अंक 70 से घटाकर 60 करने का अधिकार सुरक्षित है।

1.2 **तकनीकी मूल्यांकन का भाग II**

1.2.1 तकनीकी मूल्यांकन के दूसरे भाग में प्रस्तुतीकरण (जिसका विवरण अनुबंध क4 में दिया गया है) का मूल्यांकन 100 अंकों के लिए किया जाएगा। प्रस्तुतीकरण के मूल्यांकन के लिए मानदंड पूर्वोक्त अनुबंध के भाग II में निश्चित किये गये रूप में होगा।

1.2.2 पात्र बोली लगानेवाले (अर्थात् वे जो तकनीकी मूल्यांकन के भाग I में अर्हता प्राप्त करते हैं), "मीडिया कार्यनीति" पर एक प्रस्तुतीकरण करेंगे जिसके अंतर्गत रु.4 करोड़ (केवल चार करोड़ रुपये) के आनुमानिक बजट के लिए [एजेंसी/एजेंसियों के कमीशन तथा वस्तु और सेवा कर (जीएसटी) को छोड़कर] संबंधित डेटा के साथ तीन से चार सप्ताह के लिए (टीवी, प्रिंट, रेडियो, वेबसाइटों, सिनेमा, आउटडोर, आदि के लिए) एक मीडिया योजना का प्रदर्शन किया जाएगा। उक्त प्रस्तुतीकरण के मूल्यांकन के लिए मानदंड आरएफपी के अनुबंध क4 का भाग II - तकनीकी मूल्यांकन में दिये गये हैं। विज्ञापन करने में किन्हीं अन्य नवोन्मेषणों का प्रस्तुतीकरण एक मूल्य-संवर्धन होगा। बोली लगानेवाले का मूल्यांकन उक्त अभियान में समग्र रणनीति के आधार पर भी किया जाएगा। प्रस्तुतीकरण के दिनांक और समय की सूचना अर्हताप्राप्त बोली लगानेवालों को अलग से दी जाएगी।

1.2.3 प्रस्तुतीकरण अधिकतम 30 मिनट का होगा तथा ऊपर बताये गये विषय तक सीमित रहेगा। आईआरडीएआई बोली लगानेवालों से यह प्रत्याशा नहीं करता कि वे उक्त प्रस्तुतीकरण में अपनी कंपनी का प्रोफाइल प्रस्तुत करें।

1.2.4 बोली लगानेवाले जो 100 में से कम से कम 70 अंक (तकनीकी मूल्यांकन के भाग II में) प्राप्त करते हैं, सूची में सम्मिलित किये जाने के लिए पात्र बनेंगे। यदि तकनीकी मूल्यांकन के भाग II में अर्हताप्राप्त बोली लगानेवालों की संख्या अपर्याप्त पाई जाती है, तो आईआरडीएआई न्यूनतम अपेक्षित अंक 70 से घटाकर 60 कर सकता है।

2. मूल्यांकन की पद्धति और बोली लगानेवालों की चयनित सूची बनाने के संबंध में आईआरडीएआई का निर्णय अंतिम होगा तथा इस संबंध में किसी भी प्रकार के दावे पर विचार नहीं किया जाएगा।

झ. सूचीकरण के लिए बोली लगानेवालों की चयनित सूची बनाना

1. वे सभी बोली लगानेवाले जो तकनीकी मूल्यांकन के प्रत्येक भाग में अपेक्षित न्यूनतम अंक प्राप्त करते हैं, सूचीकरण के लिए चयनित सूची में शामिल किये जाएँगे तथा `चयनित एजेंसी' कहलाएँगे।

2. तकनीकी मूल्यांकन में संयुक्त अंक (200 अंकों में से) (भाग I + भाग II) बोली लगानेवाले के लिए `नियत तकनीकी अंक' होंगे तथा इन नियत तकनीकी अंकों की गणना सूचीबद्ध एजेंसियों की संबंधित स्थिति के निर्धारण / स्थान के निर्धारण के लिए की जाएगी।

ञ. कार्य निर्धारित करने की प्रक्रिया

1. सभी सूचीबद्ध एजेंसियों की सेवाओं का उपयोग आईआरडीएआई के जन-जागरूकता अभियानों से संबंधित विज्ञापन जारी करने के लिए किया जाएगा।

2. ये सार्वजनिक जागरूकता विज्ञापन अधिकतम `नियत तकनीकी अंक' प्राप्त करनेवाली एजेंसी से प्रारंभ करते हुए आवर्तन (रोटेशन) के द्वारा सीबीसी दरों पर जारी किये जाएँगे। इसके अलावा, जहाँ तक व्यवहार्य हो सके, वार्षिक आधार पर मौद्रिक प्रतिफल/ संविदा मूल्य के तौर पर कार्य के आबंटन में समानता सुनिश्चित करने के लिए प्रयास किये जाएँगे।

3. तथापि, प्रभाव विशेषताओं से संबद्ध सार्वजनिक जागरूकता अभियानों हेतु, एजेंसी का चयन करने के लिए सूचीबद्ध एजेंसियों के बीच एक ई-निविदा जारी की जाएगी। उक्त ई-निविदा के तौर-तरीकों की सूचना ऐसी सभी सूचीबद्ध एजेंसियों को दी जाएगी।

4. उक्त सूचीबद्ध एजेंसियों की सेवाओं का उपयोग सीमित निविदा की पूछताछ के माध्यम से सभी अन्य विज्ञापन जारी करने के लिए भी किया जाएगा।

5. आईआरडीएआई के पैनल में एजेंसियों का समावेश किसी वर्ष में कार्य अथवा न्यूनतम मात्रा में कार्य के आबंटन की गारंटी नहीं देता तथा सूचीबद्ध एजेंसी के लिए इस संबंध में किसी भी प्रकार का कोई भी दावा करने का अधिकार नहीं होगा। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि किसी/किन्हीं एजेंसी/एजेंसियों का सूचीकरण कोई भी समनुदेशन/प्रचार सेवाएँ/विज्ञापन का निर्गम या ऐसा अन्य विषय प्रदान करने के प्रयोजन के लिए आईआरडीएआई द्वारा किसी आश्वासन के समान नहीं होगा।

ट. बयाना जमा-राशि (ईएमडी)

1. अपनी बोली के भाग के रूप में बोली लगानेवाले को चाहिए कि निम्नलिखित किसी भी पद्धति के द्वारा रु. 30,00,000/- **(केवल तीस लाख रुपये)** की राशि की बयाना जमा-राशि विप्रेषित करेः

1.1 **इलेक्ट्रानिक तौर पर (एनईएफटी/आरटीजीएस के माध्यम से) –** विप्रेषण के लिए खाते का विवरण निम्नानुसार हैः

लाभार्थी का नामः बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण
खाता संख्याः 860120100001938
आईएफएससी कोडः बीकेआईडी0008601
बैंक का नामः बैंक आफ इंडिया
शाखाः बशीरबाग, हैदराबाद

1.1.1 बोली लगानेवालों को बोली के साथ विप्रेषण का प्रमाण (विशिष्ट लेनदेन संदर्भ (यूटीआर) संख्या अपलोड करनी होगी।

1.2 **अप्रतिसंहरणीय बैंक गारंटी (बीजी) के रूप में,** किसी भी अनुसूचित वाणिज्य बैंक से (अनुबंध क6 में निर्धारित फार्मेट के अनुसार)।

1.2.1 उक्त बैंक गारंटी (बीजी) `महाप्रबंधक, पीपीजीआरडी, प्रधान कार्यालय, हैदराबाद' के नाम होना चाहिए और बोली प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख से एक वर्ष की अवधि के लिए विधिमान्य होनी चाहिए। आईआरडीएआई के लिए केवल एक अनुसूचित वाणिज्य बैंक द्वारा जारी की गई अप्रतिसंहरणीय बैंक गारंटी ही स्वीकार्य होगी। बोली के साथ सबूत के तौर पर बीजी की एक स्कैन की गई प्रति प्रस्तुत की जाएगी। तथापि, वसूली के प्रयोजन के लिए, बोली लगानेवाला अप्रतिसंहरणीय बैंक गारंटी मूल रूप में निम्नलिखित पते पर भेजेगा, जिससे वह निविदा खोलने के समय तक पहुँच सकेः-

महाप्रबंधक,
पालिसीधारक संरक्षण और शिकायत निवारण विभाग (पीपीजीआरडी)
भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (आईआरडीएआई)
सर्वे सं. 115/1, फाइनैंशियल डिस्ट्रिक्ट
नानकरामगूडा, गच्चीबाउली,
हैदराबाद-500 032

2. सूक्ष्म और लघु उद्यम (एमएसई) क्षेत्र के लिए ईएमडी के भुगतान से छूट `सामान्य वित्तीय नियम (जीएफआर) 2017' के अनुसार अथवा समय-समय पर यथासंशोधित रूप में लागू होगी। ईएमडी के भुगतान से छूट की स्थिति में, छूट के समर्थन में दस्तावेज की स्कैन की गई प्रति (जीएफआर 2017 के अनुसार) बोली की प्रस्तुति के दौरान बोली लगानेवाले के द्वारा अपलोड करनी होगी।

3. उन बोली लगानेवालों को जो चयनित सूची में सम्मिलित नहीं हैं, सूचित किया जाएगा और उनकी ईएमडी ब्याज के बिना सूचीकरण की सूचना से 30 (तीस) दिन के अंदर लौटाई जाएगी, जब तक इस बोली दस्तावेज में अन्यथा व्यवस्था नहीं की जाती (पैरा ड (1) – ईएमडी की जब्ती)।

4. चयनित सूची में सम्मिलित एजेंसियों के द्वारा प्रस्तुत की गई ईएमडी एक स्थायी ईएमडी (एस-ईएमडी) की प्रस्तुति के बाद लौटाई जाएगी (पैरा ठ – स्थायी-ईएमडी)।

ठ. स्थायी – ईएमडी (एस – ईएमडी)

1. सूचीकरण के लिए चयनित सूची में सम्मिलित की गई प्रत्येक एजेंसी के द्वारा अपने सूचीकरण की सूचना से 30 (तीस) दिन के अंदर स्थायी – ईएमडी प्रस्तुत की जाएगी।

2. यह एस-ईएमडी इस समनुदेशन के अंतर्गत सूचीकरण के बाद की उसकी वचनबद्धता के लिए है।

3. चयनित सूची में सम्मिलित एजेंसियों के द्वारा प्रस्तुत की गई ईएमडी रु. 5 लाख (पाँच लाख रुपये) की स्थायी ईएमडी (एस-ईएमडी) की प्रस्तुति के बाद लौटाई जाएगी।

4. यह एस-ईएमडी सूचीकरण की पूरी अवधि के लिए विधिमान्य होगी तथा सूचीकरण की अवधि समाप्त होने के बाद लौटाई जाएगी। अन्य संबंधित विवरण जैसे परिचालन की पद्धति, एस-ईएमडी का फार्मेट आदि, सूचीकरण की सूचना के साथ साझा किये जाएँगे।

ड. समपहरण

1. **ईएमडी का समपहरणः** ईएमडी का समपहरण किया जाएगा

1.1 यदि बोली लगानेवाला बोली की विधिमान्यता अवधि के दौरान अपनी बोली वापस लेता है; या

1.2 यदि कोई बोली लगानेवाला ऐसा कोई वक्तव्य देता है या ऐसा कोई फार्म संलग्न करता है जो सूचीकरण से पहले किसी भी समय झूठा, गलत और/या भ्रामक सिद्ध होता है और/या कोई महत्वपूर्ण सूचना छिपाता है और/या दबाता है; अथवा

1.3 यदि चयनित सूची में शामिल की गई एजेंसी सूचीकरण की सूचना की तारीख से तीस दिन के अंदर एस-ईएमडी प्रस्तुत नहीं करती। तथापि, प्रस्तुति में तीस दिन से अधिक किसी विलंब के लिए चयनित सूची में सम्मिलित एजेंसी 15 (पन्द्रह) दिन से अनधिक अवधि के लिए समय बढ़ाने के लिए अनुरोध करेगा, जिसपर प्राधिकरण द्वारा गुण-दोष के आधार पर विचार किया जा सकता है।

2. **एस-ईएमडी का समपहरण –** एस-ईएमडी का समपहरण किया जाएगाः

2.1 यदि सूचीबद्ध एजेंसी लगातार तीन बार बोली लगाने (बिडिंग) की प्रक्रिया में सहभागिता नहीं करता।

2.2 यदि चयनित एजेंसी संविदा प्रदान करने की तारीख से निर्धारित अवधि के अंदर कार्यनिष्पादन प्रतिभूति प्रस्तुत नहीं करता। इसके अलावा, ऐसी स्थिति में आईआरडीएआई अपने विवेक पर कोई सूचना दिये बिना चयनित एजेंसी के पास रखा गया आदेश निरस्त कर सकता है।

ढ. कार्यनिष्पादन प्रतिभूति (पीएस)

1. संविदा का उचित कार्यनिष्पादन सुनिश्चित करने के लिए, चयनित एजेंसी से, जिसे संविदा प्रदान की गई हो, कार्यनिष्पादन प्रतिभूति प्राप्त की जाएगी।

2. कार्यनिष्पादन प्रतिभूति संबंधित संविदा दस्तावेज में उल्लिखित रूप में जो चयनित एजेंसी को संविदा प्रदान करने के लिए जारी किया जाएगा, संविदा के मूल्य के 3% (तीन प्रतिशत) की राशि के लिए होगी।

3. कार्यनिष्पादन प्रतिभूति की प्रस्तुति के लिए प्रस्तुति की पद्धति, पालन की जानेवाली समय-सीमाएँ तथा अन्य निबंधन और शर्तें संबंधित संविदा दस्तावेज में उल्लिखित रूप में होंगी।

4. पीएस संबंधित संविदा दस्तावेज में यथाविनिर्दिष्ट अवधि के लिए विधिमान्य होगी। पीएस ब्याज रहित होगी।

5. यह स्पष्ट किया जाता है कि कार्यनिष्पादन प्रतिभूति एस-ईएमडी के अतिरिक्त होगी।

ण. सूचीकरण की अवधि और समापन

1. सूचीकरण की अवधि वार्षिक समीक्षा के अधीन तीन (3) वर्ष की अवधि के लिए होगी। यह अवधि सूचीबद्ध एजेंसियों के द्वारा संविदागत दायित्वों के संतोषजनक कार्यनिष्पादन और पालन के अधीन एक बार में एक (1) वर्ष के लिए एवं अधिकतम दो (2) वर्ष के लिए आगे बढ़ाई जा सकती है। तथापि,

आईआरडीएआई के पास किसी एक अथवा सभी सूचीबद्ध एजेंसियों की सूचीबद्धता को जारी रखने के संबंध में अंतिम निर्णय लेने का अधिकार सुरक्षित है।

2. आईआरडीएआई के पास निम्नलिखित के लिए अधिकार सुरक्षित हैः

2.1 यदि बोली लगानेवाला सूचीकरण (अनुबंध क1) के लिए प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करता तो बोली लगानेवाले को निरर्हित (डिसक्वालिफाई) करना।

2.2 किसी भी प्रकार का कोई कारण दिये बिना किसी भी समय किसी एजेंसी/किन्हीं एजेंसियों को पैनल से हटाना। ऐसा निर्णय सूचीबद्ध एजेंसियों पर बाध्यकारी होगा।

2.3 किसी सूचीबद्ध एजेंसी को काली सूची में दर्ज करना यदि वह अपने संविदागत दायित्व को स्वीकार नहीं करता।

त. अन्य निबंधन और शर्तें

1. आईआरडीएआई के पास निम्नलिखित के लिए अधिकार सुरक्षित हैः

1.1 कोई कारण दिये बिना किसी भी बोली का चयन अथवा अस्वीकरण करना।

1.2 किसी भी स्तर पर आरएफपी प्रक्रिया को कोई कारण दिये बिना निरस्त करना/वापस लेना तथा यदि निरस्त की गई हो तो उसे पुनः जारी करना।

1.3 कोई कारण बताये बिना आरएफपी में कोई खंड हटाना/संशोधित करना/जोड़ना तथा ऐसे संशोधन/आशोधन के कारण हुई किसी भी हानि या क्षति के लिए आईआरडीएआई को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता।

2. बोली लगानेवाला अपने प्रस्ताव पूर्णतया बोली दस्तावेज के निबंधनों और शर्तों के अनुसार प्रस्तुत करेगा। कोई भी बोली जो बोली दस्तावेज में दिये गये निबंधनों और शर्तों के विपरीत शर्तें निर्धारित करती है, अस्वीकृत की जा सकती है। इस संबंध में आईआरडीएआई का निर्णय अंतिम, निर्णायक और बोली लगानेवाले पर बाध्यकारी होगा।

3. यह आरएफपी बोली लगानेवाले को की गई/की जानेवाली सेवाओं के संबंध में कोई अधिकार प्रदान नहीं करता, जब तक उसका चयन नहीं किया जाता तथा उसके और आईआरडीएआई के बीच एक करार निष्पादित नहीं किया जाता।

4. **सहायता संघ (कान्सार्शियम) में बोली लगाना और/या एक एकल मीडिया समूह से अनेक बोलियाँ लगाना:** इस आरएफपी के अंतर्गत सहायता संघ (कान्सार्शियम) में बोली लगाने की अनुमति नहीं है। बोली लगानेवालों के सहायता संघ (कान्सार्शियम) से प्राप्त बोलियाँ सरसरी तौर पर अस्वीकार की जाएँगी। यदि एक ही मीडिया एजेंसी/एजेंसियों के समूह से विभिन्न नामों के अंतर्गत अनेक बोलियाँ हैं, तो मीडिया एजेंसी/एजेंसियों के समूह से केवल एक ही बोली पर विचार किया जाएगा तथा इस संबंध में आईआरडीएआई का निर्णय अंतिम होगा।

5. **प्रिंसिपल से प्रिंसिपल के आधार परः** सूचीबद्ध एजेंसियों के साथ आईआरडीएआई का व्यवहार प्रिंसिपल से प्रिंसिपल के आधार पर होगा तथा किसी मीडिया या आपूर्तिकर्ताओं को किसी भी किये गये

या न किये गये कार्य अथवा सूचीबद्ध एजेंसियों के द्वारा किसी भी भूल-चूक हेतु कोई भी भुगतान करने के लिए आईआरडीएआई की कोई बाध्यता नहीं होगी।

6. अनुबंध क3 के अनुसार पात्रता मानदंड के अनुपालन के संबंध में, आईआरडीएआई सत्यापन के लिए बोली लगानेवाले के कार्यालय में विजिट कर सकता है।

7. बोली लगानेवाले समय-समय पर जारी किये गये सरकार के सभी संबंधित नियमों और विनियमों का पालन करेंगे। बोली लगानेवाले भारतीय विज्ञापन मानक परिषद (एएससीआई), भारतीय समाचारपत्र सोसाइटी (आईएनएस), भारतीय विज्ञापन एजेंसियों का संघ (एएएआई), प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 तथा अन्य प्रयोज्य विनियमों के मानदंडों का पालन करने के लिए उत्तरदायी होंगे तथा वे अनिवार्यतः यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रत्येक विज्ञापन ईमानदार, सत्यनिष्ठ हो और उपर्युक्त अपेक्षाओं के अनुरूप हो। वे विज्ञापन सिद्धांतों के उच्चतम मानकों को भी बनाये रखेंगे।

8. **नियत कार्यः** एजेंसी आईआरडीएआई द्वारा उसे आबंटित कार्य पूर्णतः या अंशतः किसी अन्य एजेंसी को आईआरडीएआई के साथ किये गये करार के अंतर्गत उसके दायित्व का निर्वहण करने के लिए समनुदेशित या उप-संविदायुक्त नहीं करेगी, भले ही वह उसकी स्वयं की सहायक संस्था या मूल एजेंसी ही क्यों न हो। केवल एजेंसी ही एकमात्र तौर पर आईआरडीएआई के प्रति उत्तरदायी होगी। आईआरडीएआई के पास कार्य के विस्तार के अंतर्गत कार्य की किसी भी मद के अंतर्गत पूर्णतः या अंशतः मात्राओं के लिए आदेश देने का अधिकार सुरक्षित है।

9. **बोली-पूर्व संविदा सत्यनिष्ठा समझौते की प्रयोज्यताः** बोली-पूर्व संविदा सत्यनिष्ठा समझौता स्पष्ट रूप से बोली लगानेवाले और हितबद्ध पक्षकारों के बीच मिलीभगत का निषेध करता है। वर्तमान मामले में, ऐसे हितबद्ध पक्षकार क्रेता को समय और स्थान बेचनेवाले मीडिया गृह हो सकते हैं। यदि आईआरडीएआई को किसी मीडिया एजेंसी/एजेंसियों और टीवी चैनल के बीच मिलीभगत का संकेत करनेवाले साक्ष्य, अथवा ऐसी मिलीभगत का संकेत करनेवाले परिस्थितिगत साक्ष्य या स्वरूप सहित किसी भी प्रकार से ऐसी मिलीभगत का पता चलता है, तो आईआरडीएआई के पास किसी भी प्रकार का कोई कारण दिये बिना मीडिया एजेंसी/एजेंसियों अथवा एजेंसियों के सूचीकरण को समाप्त करने का अधिकार सुरक्षित है। इस संबंध में आईआरडीएआई का निर्णय अंतिम होगा।

10. **आईआरडीएआई से संपर्क करनाः** बोली खोलने के समय से लेकर उसके सूचीकरण के समय तक यदि बोली से संबंधित किसी भी विषय में किसी स्पष्टीकरण की अपेक्षा करते हुए कोई बोली लगानेवाला आईआरडीएआई से संपर्क करना चाहता है, तो उन्हें किसी प्राधिकृत व्यक्ति (बोली कार्यक्रम में उल्लिखित) से ऐसे स्पष्टीकरण/णों की अपेक्षा करते हुए लिखित में इस प्रकार संपर्क करना चाहिए। किसी बोली के लिए अनुयाचना (कैनवस) करने के उद्देश्य से अथवा आईआरडीएआई के किसी अधिकारी पर कोई दबाव डालने के उद्देश्य से आईआरडीएआई के साथ संपर्क करने का कोई भी प्रयास संबंधित बोली लगानेवाले को अथवा उसकी बोली को निरर्हित (डिसक्वालिफाई) कर सकता है। बोली-पूर्व प्रश्न बोली-कार्यक्रम के अनुसार प्रस्तुत किये जा सकते हैं। मूल्यांकन प्रक्रिया के दौरान किसी भी बोली लगानेवाले के साथ मिलने या चर्चा करने अथवा किसी अभ्यावेदन पर विचार करने के लिए आईआरडीएआई बाध्य नहीं है।

11. **अपरिहार्य घटनाः** दोनों में से कोई भी पक्षकार अप्रत्याशित परिस्थितियों के कारण या ऐसी विफलता को रोकने के लिए सर्वोत्तम प्रयास करने के बाद भी चूककर्ता पक्षकार के नियंत्रण से बाहर के कारणों की वजह से किसी भी विफलता के लिए उत्तरदायी नहीं होगा, जिनमें अग्नि, प्राकृतिक घटनाएँ जैसे बाढ़, भूकंप आदि, युद्ध, दंगे, महामारी, निषेध, हड़ताल, तालाबंदी (लाक आउट), किसी सरकारी प्राधिकरण द्वारा कोई कार्य, लाइसेंस प्राप्त करने में विलंब अथवा किन्हीं संविधियों के अधीन आवेदन की अस्वीकृति शामिल हैं, परंतु जो केवल इन्हीं तक सीमित नहीं हैं।

12. **क्षतिपूरणः** सूचीबद्ध एजेंसी हर समय समस्त और ऐसी प्रत्येक हानि, नुकसान, क्षति, कार्यों, वादों, कार्यवाहियों, लागतों, प्रभारों और व्ययों से आईआरडीएआई को क्षतिपूति करेगी और सुरक्षित रखेगी तथा अहानिकर रूप में रखेगी जो किसी भी समय या समयों पर इसके बाद उपर्युक्त एजेंसी के सूचीकरण की अवधि के दौरान उपर्युक्त एजेंसी अथवा उपर्युक्त एजेंसी के अधीन कार्यरत अथवा जिसके प्रति वह उत्तरदायी हो ऐसे किसी भी व्यक्ति या व्यक्तियों के किसी कार्य, गबन, खयानत, कुप्रबंध, उपेक्षा, विफलता, कदाचार, चूक, अवज्ञा, त्रुटि, या दिवालियेपन के कारण से आईआरडीएआई द्वारा बनाये रखे गये, उपगत, हानि उठाये गये, लाये गये, मुकदमा दायर किये गये अथवा प्रारंभ किये गये या अदा किये गये हों, या किये जाएँगे या किये जा सकते हों।

13. अप्रकटीकरण करारः सूचीबद्ध एजेंसी सूचीकरण के समय एक अप्रकटीकरण करार निष्पादित करेगी।

14. यदि आवश्यक समझा जाता है, तो आईआरडीएआई बोली लगानेवालों से किसी भी पहलू पर स्पष्टीकरण माँग सकता है। तथापि, यह प्रस्तुत किये गये दस्तावेजों के मूल भाग में कोई भी परिवर्तन करने के लिए बोली लगानेवालों को अधिकृत नहीं करेगा।

15. सूचीबद्ध एजेंसी/एजेंसीयों के द्वारा प्रयुक्त साफ्टवेयर और सर्जनात्मक तत्व अनिवार्यतः लाइसेंसप्राप्त/मूल होने चाहिए तथा बिलों/लाइसेंसों की जाँच आईआरडीएआई द्वारा किसी भी समय की जा सकती है।

16. यदि कोई सूचीबद्ध एजेंसी/एजेंसियाँ अपने किसी कार्यालय को बंद करती है अथवा अपने पंजीकृत कार्यालय का स्थान बदलती है, तो उसे तत्काल आईआरडीएआई को सूचित करना चाहिए।

17. किसी अधिदेशात्मक की गई आधिकारिक मान्यता/पंजीकरण/सदस्यता प्रमाणपत्र के नवीकरण की स्थिति में उसकी एक प्रति अनिवार्यतः आईआरडीएआई को प्रस्तुत की जानी चाहिए।

18. आईआरडीएआई के पास समूची बोली प्रक्रिया का पुनः निर्गम / पुनः प्रारंभ करने का अधिकार सुरक्षित है यदि इसके संबंध में कोई असंगति, अनियमितता या विसंगति पाई जाती है। इस संबंध में आईआरडीएआई का निर्णय अंतिम, निर्णायक और बोली लगानेवाले पर बाध्यकारी होगा।

19. **विवाद समाधान व्यवस्थाः**

19.1 किसी भी प्रकार के सभी विवाद, प्रश्न अथवा विभेद जो इसके बाद इसके पक्षकारों के बीच उत्पन्न होंगे, उनके बीच आपस में मित्र भाव से निपटाये जाएँगे।

19.2 विवाचनः यदि 19.1 में उल्लिखित रूप में ऐसे प्रश्नों अथवा विभेदों का समाधान 60 (साठ) दिन के अंदर नहीं किया जाता, तो दोनों में से कोई भी पक्षकार भारतीय विवाचन और समाधान अधिनियम, 1996 के उपबंधों के अधीन विवाचन का आह्वान कर सकता है।

19.3 यदि दोनों में से कोई भी पक्षकार 19.2 से उत्पन्न होनेवाले विवाचन अधिनिर्णय से संतुष्ट नहीं है, तो वे हैदराबाद स्थित न्यायालयों के क्षेत्राधिकार में निवारण की अपेक्षा कर सकते हैं।

थ. संविदा के कार्यान्वयन हेतु दिशानिर्देश और कार्यक्रम

1. संविदा प्रदान करने से 15 (पन्द्रह) दिन के अंदर चयनित एजेंसी के साथ संविदा प्रदान करने के बाद की बैठक में आईआरडीएआई अनंतिम कार्यक्रम के साथ दिशानिर्देशों और माइलस्टोनों को अंतिम रूप देगा।

द. अनुबंध

अनुबंध क1 – सूचीकरण के लिए प्रस्ताव

[संस्था के आधिकारिक पत्र-शीर्ष (लेटर हेड) पर मुद्रित किया जाए]

दिनांकः

सेवा में,
महाप्रबंधक,
पालिसीधारक संरक्षण और शिकायत निवारण विभाग,
भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण,
सर्वे सं. 115/1, फाइनैंशियल डिस्ट्रिक्ट, नानकरामगुडा,
हैदराबाद 500 032

महोदय,

विषयः मीडिया क्रय/विज्ञापन एजेंसियों के सूचीकरण हेतु प्रस्ताव के लिए अनुरोध
संदर्भ सं.: आईआरडीएआई/पीपीएण्डजीआर/टीएनडीआर/विविध/52/3/2024 दिनांक 16 मार्च, 2024

हम.....सूचीकरण हेतु मेरी/हमारी फर्म के चयन के लिए हमारी बोली इसके साथ संलग्न करते हैं। हम यह भी प्रमाणित करते हैं कि हमारी बोली में प्रस्तुत सूचना/डेटा/ब्योरा हमारी सर्वोत्तम जानकारी और क्षमताओं के अनुसार तथ्यात्मक रूप से वास्तविक और सही हैं तथा हम आईआरडीएआई से इसमें उल्लिखित सूचना को स्वीकार करने का अनुरोध करते हैं। तथापि, आईआरडीएआई यदि अपेक्षित हो तो हमारे द्वारा दिये गये तथ्यों का सत्यापन किसी भी प्राधिकारी द्वारा करा सकता है। यदि किसी भी समय यह पाया जाता है कि हमारे द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना गलत है, तो आईआरडीएआई के पास यह अधिकार है कि हमें निरर्हित करे/ हमें काली सूची में दर्ज करे अथवा कोई भी कार्रवाई प्रारंभ करे, जैसा कि वह उपयुक्त समझे।

यह बोली प्रस्तुत करने के साथ ही, हम प्रमाणित करते हैं/वचन देते हैं किः

1. हमने सभी निबंधनों और शर्तों का सावधानीपूर्वक अध्ययन किया है तथा इस दस्तावेज में कार्य के विस्तार में दिये गये विवरण के अनुसार प्रस्तावित कार्य के मानदंडों को समझा है।

2. उक्त आरएफपी में दी गई सूचना/डेटा/ब्योरा सभी पहलुओं में वास्तविक और सही हैं। हम यह भी स्वीकार करते हैं कि किसी सूचना/ डेटा/ ब्योरे के गलत पाये जाने की स्थिति में आईआरडीएआई के पास हमें निरर्हित करने / काली सूची में दर्ज करने तथा हमारी ईएमडी/ एस-ईएम़डी का समपहरण करने का अधिकार है।

3. पिछले 10 (दस) वर्षों में हमें किसी भी न्यायालय के द्वारा दोषी नहीं पाया गया है/ दंडित नहीं किया गया है। हमें किसी भी केन्द्र/ राज्य सरकार / सरकारी क्षेत्र उपक्रम / सूचीबद्ध कंपनी के द्वारा कभी काली सूची में दर्ज नहीं किया गया है।

4. हम समझते हैं कि उन विलंबों के लिए जो हमारे कारण नहीं हैं अथवा अनियंत्रित परिस्थितियों के कारण हैं, दंड लागू नहीं किये जाएँगे तथा आईआरडीएआई का निर्णय अंतिम और हम पर बाध्यकारी होगा।
5. हम बोली प्रस्तुत करने के लिए आईआरडीएआई द्वारा निर्धारित अंतिम तारीख से 90 (नब्बे) दिन तक इस प्रस्ताव के द्वारा आबद्ध होने के लिए सहमत हैं तथा हमारा प्रस्ताव उस अवधि के समाप्त होने तक हमपर बाध्यकारी होगा तथा यह किसी भी समय आईआरडीएआई द्वारा स्वीकार किया जा सकता है।
6. हमने प्रतियोगिता को सीमित करने के लिए किसी अन्य बोली लगानेवाले को बोली प्रस्तुत करने या न करने के लिए न तो अभिप्रेरित किया है और न ही अभिप्रेरित करने का प्रयास किया है।
7. हम सहमत हैं कि इस आरएफपी में प्रस्तुत भाव, निबंधन और शर्तें आईआरडीएआई के लिए हैं।

भवदीय,

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर

पूरा नाम

पदनाम

पता

कंपनी की मुहर

अनुबंध क2 – बोली लगानेवाले की सूचना

[संस्था के आधिकारिक पत्र-शीर्ष (लेटर हेड) पर मुद्रित किया जाए]

बोली लगानेवाले का ब्योरा					
1.	बोली लगानेवाले का नाम				
2.	बोली लगानेवाले का पता				
3.	संस्था की स्थिति (पब्लिक लि./ प्राइवेट लि./ भागीदारी फर्म/ एलएलपी)				
4.	संस्थापन का विवरण	दिनांकः			
		संदर्भ#			
5.	विधिमान्य जीएसटी पंजीकरण सं.				
6.	स्थायी खाता सं. (पैन)				
7.	बोली लगानेवाले का प्राथमिक व्यवसाय				
8.	मीडिया व्यवसाय में बोली लगाने-वाले का अनुभव				
9.	मीडिया सेवाओं में नियुक्त नियमित कर्मचारियों की कुल संख्या और उनका विवरण				
10.	संपर्क व्यक्ति का नाम और पदनाम जिसे इस निविदा के संबंध में सभी संदर्भ प्रेषित किये जाएँगे				
11.	संपर्क व्यक्ति के संपर्क का ब्योरा	संपर्क सं.: ई-मेलः			
12.	एजेंसी की वेबसाइट				
13.		**विवरण**	**2020-21**	**2021-22**	**2022-23**
	पिछले 3 (तीन) वित्तीय वर्षों के लिए बोली लगानेवाले के वित्तीय विवरण (करोड़ रुपये)	टर्नओवर / सकल बिलिंग			
		निवल लाभ			
		कर के बाद लाभ (पीएटी)			
		निवल मालियत (नेट वर्थ)			
		सकल मीडिया बिलिंग			

भवदीय

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर

पूरा नाम

पदनाम

पता

कंपनी की मुहर

अनुबंध क3 – पात्रता मानदंड उत्तर पत्रक

[संस्था के आधिकारिक पत्र-शीर्ष (लेटर हेड) पर मुद्रित किया जाए]

क्रम सं.	**अर्हकारी अपेक्षा**	**संलग्न किये जानेवाले दस्तावेज**	**संलग्न सुसंगत दस्तावेज**	
			(हाँ/नहीं)	**पृष्ठ सं.**
				.....से .....तक
1.	बोली लगानेवाले को एक पंजीकृत फर्म/ कंपनी होनी चाहिए टिप्पणीः 1. इस प्रयोजन के लिए सहायता संघों से प्राप्त बोलियों पर विचार नहीं किया जाएगा 2. बोली लगानेवाले को एक अधिकृत विक्रेता (फ्रैन्चाइजी) नहीं होना चाहिए तथा अधिकृत विक्रेताओं पर विचार नहीं किया जाएगा	बोली लगानेवाले के नाम एमसीए/ सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किये गये पंजीकरण प्रमाणपत्र की एक प्रति		
2.	कर और अन्य अनुपालन प्राधिकरण/णों के पास बोली लगानेवाले का सांविधिक पंजीकरण होना(होने) चाहिए	बोली लगानेवाले के नाम पैन/टैन/वैट/ सेवा कर/ जीएसटी पंजीकरण संख्या (जो भी लागू हो) की एक प्रति		
3.	बोली लगानेवाले को 01.04.2018 को या उससे पहले भारत में पंजीकृत होना चाहिए।	i.संस्थापन के प्रमाणपत्र की प्रति ii.बोली लगानेवाले के नाम पर संस्था के अंतर्नियमों/ बहिर्नियमों या भागीदारी विलेख की प्रति		
4.	निम्नलिखित कम से कम तीन व्यावसायिक निकायों के पास बोली लगानेवाले की पूर्ण आधिकारिक मान्यता/ पंजीकरण/ सदस्यता होनी चाहिएः क.भारतीय समाचारपत्र सोसाइटी (आईएनएस) ख.भारतीय विज्ञापन मानक परिषद (एएससीआई) ग.भारतीय विज्ञापन एजेंसियों का संघ (एएएआई)	संबंधित संस्था से प्राप्त पूर्ण आधिकारिक मान्यता/ पंजीकरण/ सदस्यता के नवीनतम प्रमाणपत्र		

	घ.विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय (डीएवीपी)/लोकसंपर्क और संचार ब्यूरो ङ.भारतीय प्रसारण महासंघ (आईबीएफ)			
5.	भारत के किसी भी महानगरीय क्षेत्र में बोली लगानेवाले का संपूर्ण कार्यालय होना चाहिए	बोली लगानेवाले के नाम स्थित नवीनतम लैंडलाइन एमटीएनएल या बीएसएनएल फोन बिल/ बिजली बिल/ दुकान और स्थापना विभाग के पास पंजीकरण/ पंजीकृत किराया या पट्टा करार की प्रति		
6.	बोली लगानेवाले के पास पर्याप्त श्रमशक्ति, अर्थात् मीडिया सेवाओं में 20 (बीस) से अधिक नियमित कर्मचारी होने चाहिए ये स्टाफ सदस्य उक्त कंपनी/फर्म के नियमित कर्मचारी होने चाहिए, जो ईपीएफ, आदि के भुगतान के लिए रिकार्ड से युक्त हों	निम्नलिखित फार्मट में कर्मचारियों की संख्या के संबंध में (अधिकतम 21 (इक्कीस) कर्मचारियों के लिए) स्वप्रमाणीकरण प्रस्तुत किया जाना चाहिए। नाम पदनाम भविष्य निधि/ कर्मचारी संख्या कब से कार्यरत हैं		
7.	बोली लगानेवाले के पास अनिवार्यतः पिछले 3 (तीन) वित्तीय वर्षों (अप्रैल 2020 – मार्च 2023) में से प्रत्येक के दौरान कम से कम रु. 100 करोड़ (एक सौ करोड़ रुपये) का सकल मीडिया बिलिंग होना चाहिए (सूचीकरण के लिए आवेदन करनेवाली कंपनी के स्टैंड-अलोन टर्नओवर की गणना की जाएगी, न कि मूल/समूह कंपनी या सहायक कंपनियों या फ्रैंचाइजी से संबंधित स्टैंड-अलोन टर्नओवर की)	i.प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए सांविधिक लेखा-परीक्षक की रिपोर्ट के साथ सांविधिक लेखा-परीक्षक द्वारा विधिवत् प्रमाणित लेखा-परीक्षित तुलन-पत्रों तथा लाभ और हानि लेखों की प्रतियाँ ii.सीएफओ/सीए से प्राप्त प्रमाणपत्र कि प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए मीडिया बिलिंग		

		से आय कम से कम रु.100 (सौ) करोड़ है		
8.	बोली लगानेवाले की निवल मालियत (नेट वर्थ) (शेयर पूँजी और (प्लस) आरक्षित निधियाँ) पिछले तीन वित्तीय वर्षों (अप्रैल 2020-मार्च 2023) में से प्रत्येक के दौरान सकारात्मक होनी चाहिए	प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए निवल मालियत को प्रमाणित करते हुए सांविधिक लेखा-परीक्षक से प्राप्त प्रमाणपत्र के साथ लेखा-परीक्षित वित्तीय विवरण (रिपोर्टें)		
9.	बोली लगानेवाले के लिए पिछले तीन वित्तीय वर्षों (अप्रैल 2020 – मार्च 2023) में से प्रत्येक के दौरान लगातार कर के बाद लाभ (पीएटी) दर्ज करना चाहिए	प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए पीएटी को प्रमाणित करते हुए सांविधिक लेखा-परीक्षक के प्रमाणपत्र के साथ सभी तीन वित्तीय वर्षों के लिए लेखा-परीक्षित तुलन-पत्र तथा लाभ और हानि विवरण		
10.	बोली लगानेवाले के लिए पिछले तीन वित्तीय वर्षों (अप्रैल 2020 – मार्च 2023) के दौरान भारत में कम से कम तीन सरकारी क्षेत्र उपक्रमों/सरकार/सरकारी क्षेत्र बैंकों/ बीमाकर्ताओं/विनियामक संस्थाओं को मीडिया क्रय सेवाएँ उपलब्ध करानी चाहिए	मीडिया क्रय सेवाओं में प्रमाणित अनुभव दर्शाते हुए ऐसे ग्राहकों से प्राप्त नियुक्ति पत्रों / कार्य आदेश / `अनुभव के प्रमाणपत्र' की प्रति		
11.	बोली लगानेवाले के लिए पिछले तीन वित्तीय वर्षों (अप्रैल 2020 – मार्च 2023) के दौरान कम से कम 6 (छह) भाषाओं में (हिन्दी और अंग्रेजी सहित, इस दस्तावेज में उल्लिखित 14 (चौदह) भाषाओं में से) कम से कम 3 (तीन) मीडिया/ विज्ञापन अभियान करने चाहिए	प्रमाणित अनुभव दर्शाते हुए ऐसे ग्राहकों से प्राप्त ग्राहक क्रय आदेशों और/या `अनुभव प्रमाणपत्र' की प्रति द्वारा समर्थित कार्य के निष्पादन का स्वप्रमाणित सबूत		
12.	बोली लगानेवाले के लिए पिछले 3 (तीन) वित्तीय वर्षों (अप्रैल 2020 – मार्च 2023) के दौरान आईआरडीएआई के अभियान (यदि कोई हो) को छोड़कर आईपीएल, आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप, केबीसी हिन्दी, आदि	ऐसी बड़ी प्रभाव संपत्तियों में प्रमाणित अनुभव को दर्शाते हुए ऐसे ग्राहकों से प्राप्त ग्राहक क्रय आदेश		

	जैसी बड़ी प्रभाव संपत्तियों का निष्पादन करना चाहिए।	और/या `अनुभव प्रमाणपत्र' की प्रति		
13.	बोली लगानेवाले के लिए पिछले 10 (दस) वर्षों में किसी भी न्यायालय द्वारा दोषी नहीं पाया जाना चाहिए / दंडित नहीं किया जाना चाहिए। उन्हें किसी केन्द्र/ राज्य सरकार / सरकारी क्षेत्र उपक्रम / सूचीबद्ध कंपनी के द्वारा कभी भी काली सूची में दर्ज नहीं की होनी चाहिए।	अनुबंध क1 के अनुसार वचनपत्र। तथापि, आईआरडी-एआई के पास इसका स्वतंत्र रूप से सत्यापन करने का अधिकार सुरक्षित है।		

हम इसके द्वारा प्रमाणित करते हैं कि ऊपर दिये गये सभी विवरण मेरी / हमारी अधिकतम जानकारी के अनुसार वास्तविक और सही हैं।

हस्ताक्षर.....

पूरा नाम.....

पदनाम.....

पता.....

(प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता)

कंपनी की मुहर

टिप्पणीः

1. यदि आवश्यकता हो तो बोली लगानेवाला उपर्युक्त बिन्दुओं को स्पष्ट करने के लिए अलग शीटों का उपयोग कर सकता है, संबंधित पृष्ठों का संदर्भ उक्त सारणी के संबंधित बाक्स में दिया जाना चाहिए।
2. यदि आवश्यक हो, तो किसी भी प्राधिकरण के पास बोली लगानेवाले के द्वारा दिये गये तथ्यों का सत्यापन करने का अधिकार आईआरडीएआई के पास सुरक्षित है।
3. केवल वे ही बोली लगानेवाले जो आरएफपी की तारीख की स्थिति के अनुसार न्यूनतम पात्रता मानदंडों को पूरा करते हैं, आवेदन करने के लिए पात्र हैं। पात्रता मानदंडों को पूरा न करनेवाले बोली लगानेवालों के संबंध में किसी भी स्थिति में आगे के मूल्यांकन के लिए विचार नहीं किया जाएगा।

अनुबंध क4 – तकनीकी मूल्यांकन

[संस्था के आधिकारिक पत्र-शीर्ष (लेटर हेड) पर मुद्रित किया जाए]

तकनीकी मूल्यांकन का भाग।

बोली लगानेवालों के द्वारा प्रत्येक मद के संबंध में पूर्णतया निम्नलिखित फार्मेट में प्रस्तुत किया जाए। समर्थन में संलग्न किये जानेवाले सभी दस्तावेजों पर क्रम संख्या दी जाए, स्टाम्प (कंपनी की मुहर) लगाया जाए और प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता/सीए द्वारा, जैसा लागू हो, हस्ताक्षर किये जाएँ।

तकनीकी मूल्यांकन केवल उन्हीं बोली लगानेवालों के लिए किया जाएगा जो इस बोली दस्तावेज में उल्लिखित पात्रता मानदंडों (अनुबंध क3) के अनुसार सहभागिता करने के लिए पात्र हैं।

(सभी राशियाँ रुपयों में हैं)

क्रम सं.	तकनीकी मूल्यांकन के लिए मानदंड (संबंधित विकल्प पर निशान (टिक) लगाएँ)	दस्तावेजी साक्ष्य	प्राप्त अंक	संलग्न सुसंगत दस्तावेज	
				(हाँ/नहीं)	पृष्ठ सं.
					.....से .....तक
1.	पिछले 3 (तीन) वित्तीय वर्षों के दौरान (अप्रैल 2020 से मार्च 2023) भारत में सरकारी क्षेत्र उपक्रमों/सरकार/सरकारी क्षेत्र बैंकों/बीमाकर्ताओं/विनियामक संस्थाओं के पास किया गया इस प्रकार का कार्य (इस दस्तावेज में भाग ग – कार्य का विस्तार में यथापरिभाषित) क. 3 से 5 ग्राहकों के पास कार्य किया ख. 6 से 10 ग्राहकों के पास कार्य किया ग. 10 से अधिक ग्राहकों के पास कार्य किया	मीडिया क्रय सेवाओं में प्रमाणित अनुभव प्रदर्शित करते हुए ऐसे ग्राहकों (अधिकतम 11 ग्राहकों के लिए) से प्राप्त नियुक्ति-पत्रों/ कार्य आदेश/`अनुभव प्रमाणपत्र' की प्रति	क. 4 ख. 7 ग. 10		
2.	पिछले तीन वित्तीय वर्षों (अप्रैल 2020 से मार्च 2023) के दौरान बोली लगानेवाले का सकल मीडिया बिलिंगः क. पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान औसत कुल बिलिंग = रु.100 करोड़ से रु.200 करोड़ तक ख. पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान औसत कुल बिलिंग =	i.प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए सांविधिक लेखा-परीक्षक की रिपोर्ट के साथ सांविधिक लेखा-परीक्षक द्वारा विधिवत् प्रमाणित लेखा-परीक्षित तुलन-पत्रों, तथा लाभ और हानि लेखों की प्रतियाँ	क. 6 ख. 8 ग. 10		

	रु.200 करोड़ से अधिक परंतु रु.400 करोड़ तक ग. पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान औसत कुल बिलिंग = रु.400 करोड़ से अधिक	ii.सीएफओ/सीए से एक प्रमाणपत्र कि निर्धारित रूप में प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए मीडिया बिलिंग से आय कम से कम रु.100 करोड़ है			
3.	31 मार्च 2023 की स्थिति के अनुसार, बोली लगानेवाले की निवल मालियत (एनडब्ल्यू) क. रु.15 करोड़ तक ख. रु.15 करोड़ से अधिक परंतु रु.25 करोड़ तक ग. रु.25 करोड़ से अधिक	31 मार्च 2023 की स्थिति के अनुसार निवल मालियत (नेट वर्थ) के लिए सांविधिक लेखा-परीक्षक से प्राप्त प्रमाणपत्र	क. 6 ख. 8 ग. 10		
4.	पिछले तीन वित्तीय वर्षों (अप्रैल 2020 से मार्च 2023 तक) के दौरान बोली लगानेवाले का औसत कर के बाद लाभ (पीएटी) क. रु.5 करोड़ तक ख. रु.5 करोड़ से अधिक परंतु रु.8 करोड़ तक ग. रु.8 करोड़ से अधिक	प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए पीएटी को प्रमाणित करते हुए सांविधिक लेखा-परीक्षक से प्राप्त प्रमाणपत्र के साथ सभी तीन वित्तीय वर्षों के लिए लेखा-परीक्षित तुलन-पत्र तथा लाभ और हानि विवरण	क. 6 ख. 8 ग. 10		
5.	पिछले 3 वित्तीय वर्षों (अप्रैल 2020 से मार्च 2023 तक) के दौरान रु.10 करोड़ और उससे अधिक मीडिया बिलिंग के साथ मीडिया अभियानों (आईआरडी-एआई के पास अभियानों को छोड़कर) की संख्या क. 3 से 5 अभियान ख. 6 से 9 अभियान ग. 9 अभियानों से अधिक	ऐसे मीडिया अभियानों का प्रमाण (अधिकतम 10 अभियानों के लिए)	क. 4 ख. 7 ग. 10		
6.	मीडिया क्रय के क्षेत्र में अनुभवः क. 5 वर्ष से 10 वर्ष ख. 10 वर्ष से अधिक परंतु 15 वर्ष तक ग. 15 वर्ष से अधिक	संबंधित अनुभव/ अभियानों का/के स्वप्रमाणित प्रमाण प्रस्तुत करें	क. 4 ख. 7 ग. 10		
7.	पिछले तीन वित्तीय वर्षों (अप्रैल 2020 से मार्च 2023 तक) के	पिछले तीन वित्तीय वर्षों (अप्रैल 2020 से मार्च 2023 तक) के	क. 4 ख. 7 ग. 10		

	दौरान शीर्षस्थ 3 ग्राहकों से मीडिया बिलिंग क. सकल मीडिया बिलिंग के 70% से अधिक ख. सकल मीडिया बिलिंग के 50% से 70% तक ग. सकल मीडिया बिलिंग के 50% से कम	दौरान शीर्षस्थ 3 ग्राहकों के सकल मीडिया बिलिंग के संबंध में सीएफओ/ सीए से प्राप्त प्रमाणपत्र			
8.	राष्ट्रीय या क्षेत्रीय टीवी चैनलों में पिछले तीन वित्तीय वर्षों (अप्रैल 2020 से मार्च 2023 तक) के दौरान आईपीएल, आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप, केबीसी हिन्दी, बिग बास हिन्दी, फीफा विश्व कप जैसी उच्च मूल्य प्रभाव संपत्तियों में प्रवर्तकता या समानक का निष्पादनः क. 1 से 2 प्रभाव संपत्तियाँ ख. 3 से 5 प्रभाव संपत्तियाँ ग. 5 से अधिक प्रभाव संपत्तियाँ	संदर्भ आदेश (आरओ)/ वाणिज्य विवरण के बिना आदेश (अधिकतम 6 उच्च मूल्य प्रभाव संपत्तियों के लिए)	क. 4 ख. 7 ग. 10		
9.	पिछले 3 वित्तीय वर्षों (अप्रैल 2020 से मार्च 2023 तक) के दौरान डिजिटल अभियानों का निष्पादन (फेसबुक, इन्स्टाग्राम, वाट्सअप, गूगल, यूट्यूब, लिंक्ड इन, ट्विटर के पास सोशल मीडिया सहित) क. 3 से 5 अभियान ख. 6 से 9 अभियान ग. 9 से अधिक अभियान	संदर्भ आदेश (आरओ)/वाणिज्यिक विवरण के बिना आदेश (अधिकतम ऐसे 10 अभियानों के लिए)	क. 4 ख. 7 ग. 10		
10.	प्रसार के लेखा-परीक्षा ब्यूरो के अनुसार, 5 लाख प्रतियों से अधिक प्रसार (प्रत्येक समाचार- पत्र के लिए सभी संस्करणों को मिलाकर) से युक्त हिन्दी, अंग्रेजी और क्षेत्रीय भाषा समाचारपत्रों की संख्या जो सीबीसी/डीएवीपी दरों पर प्रस्तुत किये जा सकते हैं क. 25 समाचारपत्रों से कम या उनके समान ख. 25 से अधिक परंतु 50 समाचारपत्रों तक	कार्य नियत करने के समय सीबीसी दरों पर प्रस्तावित समाचारपत्रों में स्थान तथा दिये गये प्रसार के आंकड़ों के सहीपन को समर्थ बनाने के लिए प्रकाशनों की ओर से एक वचनपत्र	क. 4 ख. 7 ग. 10		

	ग. 50 समाचारपत्रों से अधिक				
		कुल अधिकतम अंक	**100**		

अनुबंध क4 – प्रस्तुतीकरण के लिए मूल्यांकन

तकनीकी मूल्यांकन (प्रस्तुतीकरण) का भाग II

बोली लगानेवाले को मूल्यांकन के लिए निम्नलिखित मानदंडों को ध्यान में रखते हुए प्रस्तुतीकरण करना चाहिए

क्रम सं.	**मानदंड**	**अधिकतम अंक**
1.	अभियान के लिए संक्षेप की समझ और समग्र आयोजना तथा अभियान के लिए नवोन्मेष सुझाव देने की क्षमता	40
2.	वांछित लक्ष्य श्रोतागण/दर्शकगण तक पहुँचने के लिए आईआरडीएआई को प्रभावी मीडिया रणनीति की सिफारिश करने की क्षमता	40
3.	सीबीसी दरों पर समाचारपत्रों में प्रतिस्पर्धी दरों और प्रीमियम पृष्ठों पर टीवी में प्राइम टाइम या प्रभाव संपत्तियों में स्लाट उपलब्ध कराने के लिए मीडिया एजेंसी/एजेंसियों की क्षमता	20
	कुल अधिकतम अंक	**100**

अनुबंध क5 – आरएफपी के निबंधनों और शर्तों की स्वीकृति के लिए घोषणा

[संस्था के आधिकारिक पत्र-शीर्ष (लेटर हेड) पर मुद्रित किया जाए]

दिनांकः

महाप्रबंधक,
पालिसीधारक संरक्षण और शिकायत निवारण विभाग
भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण
सर्वे सं. 115/1, फाइनैंशियल डिस्ट्रिक्ट, नानकरामगुडा
हैदराबाद 500 032

महोदय,

विषयः मीडिया क्रय/विज्ञापन एजेंसियों के सूचीकरण के लिए प्रस्ताव हेतु अनुरोध आईआरडीएआई/पीपीएण्डजीआर/टीएनडीआर/विविध/52/3/2024 दिनांक 16 मार्च, 2024

मैंने ऊपर संदर्भित आरएफपी दस्तावेज में निहित निबंधनों और शर्तों तथा कार्य के विस्तार का सावधानीपूर्वक अध्ययन किया है। मैं घोषणा करता/करती हूँ कि इस आरएफपी के सभी उपबंध मेरी कंपनी के लिए स्वीकार्य हैं। मैं आगे यह भी प्रमाणित करता/करती हूँ कि मैं अपनी कंपनी का एक प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता हूँ तथा इस कारण से मैं यह घोषणा करने के लिए सक्षम हूँ।

भवदीय,

(प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर)

नाम

पदनाम

मुहर

दिनांक

व्यावसायिक पता

हम वचन देते हैं कि उपर्युक्त संविदा के लिए प्रतिस्पर्धा करने में (तथा, यदि यह हमें प्रदान की जाती है तो उसे निष्पादित करने में) हम भारत में धोखाधड़ी, भ्रष्टाचार और धन-शोधन के विरुद्ध भारत में प्रचलित

विधियों का पूर्णतया पालन करेंगे। हम समझते हैं कि यदि हम इन विधियों में से किसी का भी उल्लंघन करते हुए पाये जाते हैं, तो हम आईआरडीएआई द्वारा तत्काल समापन के लिए जिम्मेदार हैं।

हमने आरएफपी के सभी निबंधनों और शर्तों का अनुपालन किया है/करेंगे। हम समझते हैं कि आप अपने द्वारा प्राप्त निम्नतम अथवा किसी भी बोली को स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं हैं।

आज दिनांक..... माह..... 2024.

(हस्ताक्षर)

(नाम) (की क्षमता में)

के लिए और उनकी ओर से बोली पर हस्ताक्षर करने के लिए विधिवत् प्राधिकृत

अनुबंध क6 – बयाना जमा राशि के लिए फार्मेट

(अनुसूचित वाणिज्य बैंक द्वारा प्रस्तुत किया जाए)

महाप्रबंधक,
पालिसीधारक संरक्षण और शिकायत निवारण विभाग
भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण
सर्वे सं. 115/1, फाइनैंशियल डिस्ट्रिक्ट, नानकरामगुडा
हैदराबाद 500 032

विषयः मीडिया क्रय / विज्ञापन एजेंसियों के सूचीकरण हेतु प्रस्ताव के लिए अनुरोध आईआरडीएआई/पीपीएण्डजीआर/टीएनडीआर/विविध/52/3/2024 दिनांक 16 मार्च, 2024

जबकि भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (आईआरडीएआई), जिसका प्रधान कार्यालय हैदराबाद में है, ने भारतीय नागरिकों के बीच जागरूकता निर्मित करने के लिए एक अभियान निष्पादित करने हेतु एक मंच उपलब्ध कराने के लिए आरएफपी को आमंत्रित किया है।

1. यह आरएफपी के आमंत्रण की एक शर्त है कि बोली लगानेवाला बयाना जमा-राशि के रूप में रु. 30,00,000/- (केवल तीस लाख रुपये) की राशि के लिए एक बैंक गारंटी प्रस्तुत करेगा।

2. मेसर्स _____ (इस फार्मेट में इसके बाद बोली लगानेवाले के रूप में कहलाएँगे), जो हमारे ग्राहक हैं, उपर्युक्त कार्य के लिए अपना आरएफपी प्रस्तुत करना चाहते हैं तथा इन्होंने हमसे रु. 30,00,000/- (केवल तीस लाख रुपये) की उपर्युक्त राशि के संबंध में गारंटी प्रस्तुत करने के लिए अनुरोध किया है।

3. **अब यह गारंटी साक्ष्य देती है कि**

3.1 हम, _____ (बैंक) इसके द्वारा सहमत हैं तथा आईआरडीएआई, उनके उत्तराधिकारियों, समनुदेशितियों को वचन देते हैं कि यदि आईआरडीएआई इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि उक्त बोली लगानेवाले ने उक्त आरएफपी की उपर्युक्त शर्तों के अंतर्गत अपने दायित्वों का निष्पादन नहीं किया है अथवा उसका उल्लंघन किया है, जो निष्कर्ष हम पर एवं उपर्युक्त बोली लगानेवाले पर बाध्यकारी होगा, हम आईआरडीएआई द्वारा माँग की जाने पर, आईआरडीएआई को आपत्ति के बिना, ईएमडी के रूप में उल्लिखित राशि अर्थात् रु. 30,00,000/- (केवल तीस लाख रुपये) अथवा आईआरडीएआई द्वारा माँग की जानेवाली कोई निम्नतर राशि का भुगतान करेंगे। हमारी गारंटी उपर्युक्त शर्तों के अधीन बोली लगानेवाले के दायित्वों के उचित निष्पादन के लिए बयाना जमा-राशि के समान मानी जाएगी।

3.2 हम यह वचन देने के लिए सहमत हैं तथा पुष्टि करते हैं कि उपर्युक्त रूप में ईएमडी राशि अर्थात् रु. 30,00,000/- (केवल तीस लाख रुपये) से अनधिक राशि यह कहते हुए कि उक्त राशि उनको देय है, लिखित में एक नोटिस द्वारा आईआरडीएआई से केवल एक माँग-पत्र प्राप्त होने पर किसी आपत्ति या प्रतिवाद के बिना हमारे द्वारा अदा की जाएगी तथा हम किसी अतिरिक्त प्रमाण या साक्ष्य की माँग नहीं करेंगे तथा आईआरडीएआई से लिखित में एक नोटिस निर्णायक और हमपर बाध्यकारी होगा एवं लिखित में नोटिस के जरिये आईआरडीएआई द्वारा उक्त माँग पर हमसे किसी भी प्रकार से कोई भी प्रश्न नहीं किया जाएगा। हम

आईआरडीएआई द्वारा दावा की गई राशि का भुगतान उपर्युक्त रूप में नोटिस की प्राप्ति की तारीख से दो कार्य-दिवसों की अवधि के अंदर करने के वचन देते हैं।

3.3 हम पुष्टि करते हैं कि इस गारंटी के अंतर्गत आईआरडीएआई के प्रति हमारा दायित्व आईआरडीएआई और उक्त बोली लगानेवाले के बीच करार अथवा करारों अथवा अन्य समझौतों से स्वतंत्र होगा।

3.4 यह गारंटी आईआरडीएआई की लिखित में पूर्व सहमति के बिना हमारे द्वारा वापस नहीं ली जाएगी।

4. हम इसके द्वारा यह भी सहमति देते हैं कि –

4.1 उपर्युक्त करार की शर्तों को लागू करने में आईआरडीएआई की ओर से कोई भी स्थगन (फार्बेअरन्स) अथवा उपर्युक्त आरएफपी में और/या इसके अंतर्गत निर्धारित किसी निबंधन या शर्त के अनुपालन में बोली लगानेवाले को आईआरडीएआई द्वारा कोई समय प्रदान करना या कोई अनुग्रह दर्शाना अथवा उससे संबंधित कोई भी अन्य विषय इस गारंटी के अंतर्गत हमारे दायित्व से किसी भी प्रकार से हमें मुक्त नहीं करेगा।

4.2 इन विलेखों के अंतर्गत हमारी देयता रु. 30,00,000/- (केवल तीस लाख रुपये) की राशि से अधिक नहीं होगी।

4.3 इस करार के अंतर्गत हमारी देयता उपर्युक्त कार्य के लिए आरएफपी में हमारे उपर्युक्त ग्राहकों की ओर से किसी अशक्तता या हमारे उपर्युक्त ग्राहकों के संघटन में परिवर्तन के कारण प्रभावित नहीं होगी।

4.4 यह गारंटी बोली के प्रस्तुतीकरण की अंतिम तारीख, जो 23 अप्रैल 2024 है, से 1 वर्ष तक प्रचलन में रहेगी बशर्ते कि यदि आईआरडीएआई द्वारा अपेक्षा की जाती है तो यह गारंटी ऐसी अतिरिक्त अवधि के लिए जैसी कि उनके द्वारा निर्दिष्ट की जा सकती है, इस अनुबंध में निहित निबंधनों और शर्तों पर ही नवीकृत की जाएगी।

4.5 इन विलेखों के अंतर्गत हमारी देयता समाप्त हो जाएगी, जब तक कि ऊपर इस अनुबंध में की गई व्यवस्था के अनुसार इन विलेखों का नवीकरण नहीं किया जाता है, जिस दिन हमारे ग्राहक अपने दायित्वों का अनुपालन करते हैं, जो भी तारीख बाद में हो जिसके संबंध में केवल आईआरडीएआई द्वारा लिखित में प्रमाणपत्र निर्णायक प्रमाण है। जब तक उस तारीख से छह महीने के अंदर अथवा किसी बढ़ाई गई अवधि के अंदर आईआरडीएआई द्वारा लिखित में एक नोटिस के जरिये माँग नहीं की जाती, इस गारंटी के अंतर्गत हमारे विरुद्ध आईआरडीएआई के सभी अधिकारों का समपहरण किया जाएगा तथा इसके अंतर्गत हमारे सभी दायित्वों और देयताओं से निर्मुक्त और उन्मुक्त किया जाएगा।

भवदीय,

के लिए और उनकी ओर से

प्राधिकृत अधिकारी (कंपनी की मुहर)

(ध्यान दीजिएः इस गारंटी के लिए उस राज्य में लागू मुद्रांक शुल्क (स्टांप ड्यूटी) अपेक्षित होगा, जहाँ इसका निष्पादन किया जाता है तथा इस पर जिस अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर किये जाएँगे उसके हस्ताक्षरों और प्राधिकार का सत्यापन किया जाएगा)

अनुबंध क7 – बोली-पूर्व प्रश्नों के लिए फार्मेट

[केवल एक्सेल फाइल फार्मेट में संस्था के आधिकारिक पत्र-शीर्ष (लेटर हेड) पर मुद्रित किया जाए]

विषयः मीडिया क्रय/विज्ञापन एजेंसियों के सूचीकरण हेतु प्रस्ताव के लिए अनुरोध आईआरडीएआई/पीपीएण्डजीआर/टीएनडीआर/विविध/52/3/2024 दिनांक 16 मार्च, 2024

बोली लगानेवाले का नामः

संपर्क व्यक्तिः

संपर्क संख्या / ई-मेल आईडीः

प्रश्नः

क्रम सं.	आरएफपी संदर्भ पृष्ठ सं.	आरएफपी पैरा सं.	मौजूदा खंड का विवरण	अपेक्षित स्पष्टीकरण

भवदीय,

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर

पूरा नाम

पदनाम

पता

कंपनी की मुहर

अनुबंध क8 – बोली-पूर्व संविदा सत्यनिष्ठा समझौता

<u>सामान्य</u>

यह बोली-पूर्व संविदा सत्यनिष्ठा समझौता (इस अनुबंध में इसके बाद सत्यनिष्ठा समझौता कहलाएगा) दिनांक ..... माह..... 2024 को एक ओर प्रथम भाग के महाप्रबंधक, पीपीजीआर विभाग, भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण के माध्यम से कार्यरत भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (इस अनुबंध में इसके बाद "क्रेता" के रूप में कहलाएगा, जिस अभिव्यक्ति से उसके पदस्थ उत्तराधिकारी और समनुदेशिती अभिप्रेत हैं तथा जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, उसके पदस्थ उत्तराधिकारी और समनुदेशिती इसमें शामिल हैं) एवं दूसरे भाग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (इस अनुबंध में इसके बाद "बोली लगानेवाला" कहलाएगा जिस अभिव्यक्ति से उसके उत्तराधिकारी और अनुमति-प्राप्त समनुदेशिती अभिप्रेत हैं और इसमें शामिल हैं, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो) द्वारा प्रतिनिधित्व किया जानेवाला मेसर्स..... के बीच किया गया है।

जबकि क्रेता (प्रिंट, इलेक्ट्रानिक और अन्य मीडिया में विज्ञापन सेवाएँ) प्राप्त करने का प्रस्ताव करता है तथा बोली लगानेवाला/वाले ने विज्ञापन सेवाएँ देने का प्रस्ताव करता है/किया है तथा जबकि बोली लगानेवाला (कृपया श्रेणी निर्दिष्ट करें उदा. निजी कंपनी/सरकारी कंपनी/भागीदारी आदि) इस विषय में संबंधित विधि के अनुसार संस्थापित है एवं क्रेता बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 के अधीन अपने कार्य निष्पादित करनेवाला एक सांविधिक निकाय है।

अब इस कारण से

निम्नलिखित उद्देश्य से की जानेवाली संविदा के प्रचलन से पहले, उसके दौरान और उसके बाद एक ऐसी प्रणाली का अनुसरण करने के द्वारा जो उचित, पारदर्शी और किसी प्रभाव/ पूर्वाग्रहयुक्त व्यवहार से मुक्त है, सभी प्रकार के भ्रष्टाचार से बचने के लिएः-

क्रेता को सार्वजनिक प्रापण के संबंध में उच्च लागत और भ्रष्टाचार के विकृत प्रभाव से बचने के द्वारा निश्चित विशिष्टियों के अनुरूप आरएफपी के अनुसार अपेक्षित सेवाएँ प्राप्त करने के लिए समर्थ बनाना तथा

बोली लगानेवाले को यह आश्वासन देने के द्वारा कि उसके प्रतिस्पर्धी भी घूसखोरी और अन्य भ्रष्ट प्रथाओं से दूर रहेंगे, संविदा प्राप्त करने के लिए घूसखोरी अथवा किसी भ्रष्ट प्रथा में लिप्त होने से दूर रहने के लिए समर्थ बनाना एवं क्रेता पारदर्शी प्रक्रियाओं का अनुसरण करते हुए अपने अधिकारियों के द्वारा किसी भी रूप में भ्रष्टाचार का निवारण करने के लिए प्रतिबद्ध रहेगा।

इसके पक्षकार इसके द्वारा यह सत्यनिष्ठा समझौता करने के लिए सहमत हैं तथा निम्नानुसार सहमति व्यक्त करते हैं :

1. **<u>क्रेता की प्रतिबद्धताएँ</u>**

1.1 क्रेता वचन देता है कि संविदा के साथ प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संबद्ध क्रेता का कोई भी अधिकारी बोली प्रक्रिया, बोली मूल्यांकन, संविदाकरण या संविदा से संबंधित कार्यान्वयन प्रक्रिया में किसी लाभ के विनिमय में अपने लिए या संविदा से संबंधित किसी व्यक्ति, संगठन या अन्य पक्षकार के लिए बोली लगानेवाले से कोई घूस, प्रतिफल, उपहार, पुरस्कार, उपकार या किसी अन्य भौतिक या अभौतिक लाभ या किसी अन्य लाभ की माँग प्रत्यक्ष रूप से अथवा मध्यवर्तियों के माध्यम से नहीं करेगा, उसके लिए वचन नहीं लेगा या उसे स्वीकार नहीं करेगा।

1.2 क्रेता संविदा-पूर्व स्तर पर सभी बोली लगानेवालों के प्रति एकसमान व्यवहार करेगा, तथा सभी बोली लगानेवालों को एकसमान सूचना उपलब्ध कराएगा और किसी भी विशिष्ट बोली लगानेवाले को ऐसी सूचना नहीं देगा जो अन्य बोली लगानेवालों की तुलना में उस विशिष्ट बोली लगानेवाले को कोई लाभ पहुँच सकती हो।

1.3 क्रेता के सभी अधिकारी उपर्युक्त प्रतिबद्धताओं के संबंध में किये गये उल्लंघन के किसी भी प्रयास या पूरे किये गये प्रयास एवं ऐसे उल्लंघन के किसी पर्याप्त संदेह की सूचना उपयुक्त प्राधिकारी को देंगे।

2. यदि ऐसे अधिकारी(अधिकारियों) की ओर से ऐसे किसी पूर्ववर्ती कदाचार की सूचना बोली लगानेवाले के द्वारा क्रेता को संपूर्ण और सत्यापनयोग्य तथ्यों के साथ दी जाती है तथा वह प्रथम दृष्टि में क्रेता के द्वारा सही पाया जाता है, तो क्रेता के द्वारा आपराधिक कार्यवाही सहित आवश्यक अनुशासनिक कार्यवाही अथवा योग्य समझी जानेवाली कोई अन्य कार्रवाई प्रारंभ की जा सकती है तथा ऐसे व्यक्ति को संविदा की प्रक्रिया से संबंधित आगे के व्यवहार से विवर्जित (डिबार) किया जाएगा। ऐसी स्थिति में जहाँ क्रेता के द्वारा जाँच संचालित की जा रही होती है, वहीं संविदा के अंतर्गत कार्यवाही नहीं रोकी जाएगी।

3. बोली लगानेवाले की प्रतिबद्धताएँ

3.1 बोली लगानेवाला संविदा प्राप्त करने के लिए अथवा उसकी प्राप्ति में प्रोत्साहन देने के लिए किसी संविदा-पूर्व स्तर के दौरान या संविदा के बाद के स्तर के दौरान अपनी बोली के किसी भी स्तर पर भ्रष्ट प्रथाओं, अनुचित साधनों और अवैध कार्यकलापों को रोकने के लिए सभी आवश्यक उपाय करने के लिए स्वयं वचनबद्ध होगा एवं विशेष रूप से निम्नलिखित के लिए स्वयं प्रतिबद्ध रहेगाः-

3.1.1 बोली लगानेवाला बोली की प्रक्रिया से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संबद्ध क्रेता के किसी अधिकारी को, अथवा संविदा से संबंधित किसी व्यक्ति, संस्था या अन्य पक्षकार को संविदा की बोली लगाने (बिडिंग), विकास, संविदाकरण और संविदा के कार्यान्वयन में किसी लाभ के विनिमय में प्रत्यक्ष रूप से स्वयं अथवा मध्यवर्तियों के माध्यम से कोई भी घूस, प्रतिफल, पुरस्कार, उपकार, कोई भौतिक या अमूर्त लाभ या अन्य लाभ, कमीशन, शुल्क, दलाली या प्रलोभन नहीं देगा।

3.1.2 बोली लगानेवाला आगे यह भी वचन देता है कि उक्त संविदा अथवा सरकार के पास किसी अन्य संविदा के संबंध में किसी व्यक्ति को उपकार या अवज्ञा दर्शाने या दर्शाना स्थगित करने के लिए सरकार के साथ उक्त संविदा अथवा कोई अन्य संविदा प्राप्त करने या उसका निष्पादन करने के संबंध में संविदा प्राप्त करने या कोई कार्य संपन्न करने या करने के उपलक्ष्य में क्रेता के किसी अधिकारी को उसने प्रत्यक्ष रूप से अथवा अप्रत्यक्ष रूप से कोई घूस, उपहार, प्रतिफल, पुरस्कार, उपकार, कोई भौतिक या अमूर्त लाभ

या कोई अन्य लाभ, कमीशन, शुल्क, दलाली या प्रलोभन या अन्य प्रकार से कुछ भी नहीं दिया है, देने का प्रस्ताव नहीं किया है या वादा नहीं किया है।

3.1.3 बोली लगानेवाले अपने एजेंटों और प्रतिनिधियों के नाम और पते का प्रकटीकरण करेंगे।

3.1.4 बोली लगानेवाले इस बोली/संविदा के संबंध में उनके द्वारा एजेंटों/दलालों अथवा किसी अन्य मध्यवर्ती को किये जानेवाले भुगतानों का प्रकटीकरण करेंगे।

3.1.5 बोली लगानेवाला बोली प्रस्तुत करते समय या संविदा-पूर्व बातचीत के दौरान या संविदा पर हस्ताक्षर करने से पहले संविदा के संबंध में क्रेता के अधिकारियों या उनके पारिवारिक सदस्यों, एजेंटों, दलालों या किन्हीं अन्य मध्यवर्तियों को अपने द्वारा किये गये, देने के लिए वचनबद्ध या देने की इच्छा से युक्त किन्हीं भुगतानों तथा ऐसे भुगतानों के लिए सहमति-प्राप्त सेवा के विवरण का प्रकटीकरण करेगा।

3.1.6 बोली लगानेवाला संविदा की पारदर्शिता, बोली लगाने की प्रक्रिया की निष्पक्षता और प्रगति, बोली मूल्यांकन संविदाकरण और संविदा के कार्यान्वयन को हानि पहुँचाने के लिए संविदा में हितबद्ध अन्य पक्षकारों के साथ साँठ-गाँठ नहीं करेगा।

3.1.7 बोली लगानेवाला किसी भी भ्रष्ट व्यवहार, अनुचित साधनों और अवैध कार्यकलापों के लिए विनिमय में कोई भी लाभ स्वीकार नहीं करेगा।

3.1.8 बोली लगानेवाला प्रतिस्पर्धा या निजी लाभ या दूसरों के पास आगे बढ़ाने के प्रयोजनों के लिए क्रेता के द्वारा किसी इलेक्ट्रानिक डेटा वाहक में निहित सूचना सहित, योजनाओं, तकनीकी प्रस्तावों और व्यवसाय के विवरण के संबंध में व्यावसायिक संबंध के भाग के रूप में उपलब्ध कराई गई किसी भी सूचना का गलत ढंग से उपयोग नहीं करेगा। बोली लगानेवाला उचित और पर्याप्त सावधानी बरतने के लिए भी वचन देता है ताकि कहीं ऐसी सूचना का प्रकटीकरण न हो।

3.1.9 बोली लगानेवाला संपूर्ण और सत्यापनयोग्य तथ्यों के साथ समर्थन के बिना प्रत्यक्ष रूप से या किसी अन्य तरीके के द्वारा कोई भी शिकायत न करने के लिए वचनबद्ध है।

3.1.10 बोली लगानेवाला ऊपर उल्लिखित में से कोई भी कार्य करने के लिए किसी अन्य व्यक्ति को प्रेरित नहीं करेगा अथवा प्रेरित नहीं करवाएगा।

3.1.11 यदि बोली लगानेवाला या बोली लगानेवाले का कोई कर्मचारी या बोली लगानेवाले की ओर से कार्य करनेवाला कोई व्यक्ति, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, क्रेता के किसी अधिकारी का संबंधी है, अथवा वैकल्पिक रूप से, यदि क्रेता के किसी अधिकारी के किसी संबंधी का बोली लगानेवाले की फर्म में वित्तीय हित/पण है, तो इसका प्रकटीकरण निविदा भरने के समय बोली लगानेवाले के द्वारा किया जाएगा। इस प्रयोजन के लिए शब्द `संबंधी' कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2(77) में अथवा उसके संशोधन में परिभाषित रूप में होगा।

3.1.12 बोली लगानेवाला क्रेता के किसी कर्मचारी को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई भी धनराशि उधार नहीं देगा या उससे कोई भी धनराशि उधार नहीं लेगा अथवा कोई भी मौद्रिक व्यवहार या लेनदेन नहीं करेगा।

4. **<u>पिछला अतिक्रमण</u>**

4.1 बोली लगानेवाला घोषणा करता है कि इस सत्यनिष्ठा समझौते पर हस्ताक्षर करने से तत्काल पहले के तीन वर्षों के दौरान यहाँ इसके नीचे परिकल्पित किन्हीं भ्रष्ट व्यवहारों के संबंध में किसी भी देश में किसी अन्य कंपनी के साथ अथवा भारत में किसी भी सरकारी क्षेत्र उद्यम के साथ अथवा भारत में किसी भी सरकारी विभाग के साथ पूर्व में ऐसा कोई पिछला अतिक्रमण घटित नहीं हुआ है जो उक्त निविदा प्रक्रिया से बोली लगानेवाले के अपवर्जन को उचित ठहरा सकता है।

4.2 बोली लगानेवाला सहमत है कि यदि वह इस विषय में गलत वक्तव्य देता है, तो बोली लगानेवाले को निविदा प्रक्रिया से निरर्हित किया जा सकता है, यदि सूचीबद्धता या संविदा प्रदान की जा चुकी है तो इस प्रकार के कारण से वह समाप्त की जा सकती है।

5. **<u>अग्रिम धन-राशि</u>**

मुख्य निविदा में बोली प्रस्तुत करने के समय, बोली लगानेवाला मुख्य निविदा में क्रेता के द्वारा (बयाना जमा-राशि/प्रतिभूति जमाराशि के रूप में) विनिर्दिष्ट की जानेवाली राशि ऐसे लिखतों के माध्यम से जमा करेगा जिनका विवरण मुख्य निविदा में क्रेता के द्वारा सूचित की जानेवाली राशि के साथ दिया जाएगा।

6. **<u>उल्लंघनों के लिए दंड</u>**

6.1 बोली लगानेवाले या उसके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति के द्वारा या उसकी ओर से कार्य करनेवाले के द्वारा पूर्वोक्त उपबंधों में से किसी का कोई भी उल्लंघन (चाहे बोली लगानेवाले की जानकारी में हो या उसके बिना हो) क्रेता को जहाँ भी आवश्यक हो वहाँ निम्नलिखित सभी कार्रवाइयाँ अथवा उनमें से कोई एक कार्रवाई करने के लिए अधिकार देगाः

6.1.1 बोली लगानेवाले को कोई कारण बताये बिना अथवा कोई क्षतिपूर्ति दिये बिना संविदा-पूर्व बातचीत को तत्काल बंद करना। तथापि, अन्य बोली लगानेवालों के साथ कार्यवाही जारी रहेगी।

6.1.2 क्रेता के द्वारा निर्णीत रूप में पूर्णतः या अंशतः बयाना धन-राशि (संविदा-पूर्व स्तर पर) जब्त करना तथा क्रेता के लिए इसके लिए कोई कारण बताने की आवश्यकता नहीं होगी।

6.1.3 बोली लगानेवाले के द्वारा यदि अग्रिम बैंक गारंटी और कार्यनिष्पादन बांड/वारंटी बांड प्रस्तुत किये गये हों तो क्रेता के द्वारा पहले से किये गये भुगतानों की ब्याज सहित वसूली करने के लिए उनका नकदीकरण करना।

6.1.4 यदि संविदा पर हस्ताक्षर किये जा चुके हों तो बोली लगानेवाले को कोई क्षतिपूर्ति किये बिना उसे तत्काल निरस्त करना।

6.1.5 बोली लगानेवाले के साथ की गई सभी या कोई अन्य संविदाएँ निरस्त करना। ऐसे किसी निरसन से उसके परिणामस्वरूप क्रेता को हुई किसी भी हानि या क्षति के लिए क्षतिपूर्ति का भुगतान करने के लिए बोली

लगानेवाला जिम्मेदार होगा तथा क्रेता बोली लगानेवाले को देय किसी(किन्हीं) धनराशि(यों) से इस प्रकार देय राशि की कटौती करने के लिए हकदार होगा।

6.1.6 पाँच वर्ष की न्यूनतम अवधि के लिए जिसे क्रेता के विवेकानुसार आगे बढ़ाया जा सकता है, भावी बोली प्रक्रियाओं में भाग लेने से बोली लगानेवाले को विवर्जित (डिबार) करना।

6.1.7 संविदा प्राप्त करने के उद्देश्य से मध्यवर्तियों या एजेंसी/एजेंसियों या दलाल को बोली लगानेवाले(लों) के द्वारा इस समझौते का उल्लंघन करते हुए अदा की गई सभी राशियों की वसूली करना।

6.1.8 अपराध के रूप में भारतीय दंड संहिता के अध्याय IX या भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 या भ्रष्टाचार के निवारण के लिए उसके बाद अधिनियमित किसी भी अन्य संविधि में परिभाषित रूप में ऊपर उल्लिखित सभी कार्रवाइयाँ या कोई भी कार्रवाई करने के लिए क्रेता हकदार होगा।

6.1.9 क्रेता का इस आशय का निर्णय कि बोली लगानेवाले के द्वारा इस समझौते के उपबंधों को भंग किया गया है, अंतिम होगा और बोली लगानेवाले पर निश्चायक होगा। तथापि, बोली लगानेवाला इस समझौते के प्रयोजनों के लिए नियुक्त स्वतंत्र मानीटरों से संपर्क कर सकता है।

7 <u>स्वतंत्र मानीटर</u>

7.1 भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण ने श्री राजेश रंजन, आईपीएस (सेवानिवृत्त) को उक्त सत्यनिष्ठा समझौते के दोनों पक्षकारों की निगरानी करने के लिए स्वतंत्र बाह्य मानीटर (आईईएम) के रूप में नियुक्त किया है। आईईएम के संपर्क का विवरण निम्नानुसार हैः

श्री राजेश रंजन, आईपीएस (सेवानिवृत्त)
ए1, (भूतल), नीति बाग,
अगस्त क्रान्ति मार्ग,
नई दिल्ली – 110049
मोबाइलः 9958511222
ई-मेलः rajeshranjan2@gmail.com

7.2 उक्त मानीटर का कार्य स्वतंत्र रूप से और वस्तुनिष्ठ रूप से यह समीक्षा करना कि क्या उक्त पक्षकार इस समझौते के अंतर्गत दायित्वों का अनुपालन कर रहे हैं और किस सीमा तक कर रहे हैं।

7.3 उक्त मानीटर उक्त पक्षकारों के प्रतिनिधियों के अनुदेशों के अधीन नहीं होगा तथा वह अपने कार्य तटस्थ रूप से और स्वतंत्र रूप से निष्पादित करेगा।

7.4 उक्त दोनों पक्षकार स्वीकार करते हैं कि उक्त मानीटर के पास बैठकों के कार्यवृत्तों सहित, उक्त परियोजना/ प्रापण से संबंधित सभी दस्तावेजों तक पहुँचने का अधिकार है।

7.5 जैसे ही उक्त मानीटर इस समझौते का कोई उल्लंघन पाता है, या कोई उल्लंघन होने पर विश्वास करने का उसके पास कारण है, वह क्रेता के द्वारा प्राधिकृत प्राधिकारी को इसकी सूचना देगा।

7.6 बोली लगानेवाला स्वीकार करता है कि उक्त मानीटर के पास बोली लगानेवाले के द्वारा प्रस्तुत किये गये दस्तावेजों सहित, क्रेता के समस्त परियोजना प्रलेखीकरण तक किसी प्रतिबंध के बिना पहुँचने का अधिकार है। बोली लगानेवाला उक्त मानीटर को उसके द्वारा अनुरोध किये जाने पर और विधिमान्य हित प्रदर्शित करने पर अपनी परियोजना के प्रलेखीकरण तक अप्रतिबंधित और शर्तरहित पहुँच भी प्रदान करेगा। उप-ठेकेदारों के संबंध में भी यही लागू होगा। उक्त मानीटर बोली लगानेवाले/उपठेकेदार (रों) से संबंधित सूचना और दस्तावेजों के विषय में गोपनीयता के साथ व्यवहार करने के संविदागत दायित्व के अधीन होगा।

7.7 क्रेता उक्त मानीटर को उक्त परियोजना से संबंधित पक्षकारों के बीच सभी बैठकों के बारे में पर्याप्त सूचना उपलब्ध कराएगा, बशर्ते कि ऐसी बैठकों का प्रभाव उक्त पक्षकारों के बीच संविदागत संबंधों पर हो सकता हो। उक्त पक्षकार ऐसी बैठकों में भाग लेने के लिए उक्त मानीटर को विकल्प देंगे।

7.8 उक्त मानीटर क्रेता/बोली लगानेवाले के द्वारा संदर्भ की तारीख या उसको सूचना देने की तारीख से 8 से 10 (आठ से दस) सप्ताह के अंदर क्रेता के प्राधिकृत प्राधिकारी को एक लिखित रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा तथा यदि अवसर उत्पन्न होते हैं तो समस्याग्रस्त स्थितियों को सुधारने के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत करेगा।

8. <u>जाँच-पड़ताल का सरलीकरण</u>

इस समझौते या कमीशन के भुगतान के किसी भी उपबंध का उल्लंघन होने के किसी आरोप की स्थिति में, बोली लगानेवाले की खाता-बहियों सहित सभी दस्तावेजों की जाँच करने के लिए क्रेता और उसकी एजेंसियाँ हकदार होंगी तथा बोली लगानेवाला अंग्रेजी में आवश्यक सूचना और दस्तावेज प्रस्तुत करेगा तथा ऐसी जाँच-पड़ताल के प्रयोजन के लिए समस्त संभव सहायता प्रदान करेगा।

9. <u>क्षेत्राधिकार की विधि और स्थान</u>

यह समझौता भारतीय विधि के अधीन है। स्थान, कार्यनिष्पादन और क्षेत्राधिकार क्रेता का स्थान हैं।

10. <u>अन्य कानूनी कार्रवाइयाँ</u>

इस सत्यनिष्ठा समझौते में निर्धारित कार्रवाइयाँ ऐसी किसी अन्य कानूनी कार्रवाई पर प्रतिकूल प्रभाव के बिना हैं, जो किसी भी सिविल या मूल कार्यवाही से संबंधित प्रचलित वर्तमान कानून के उपबंधों के अनुसार अनुवर्ती तौर पर होगी।

11. <u>विधिमान्यत</u>

11.1 इस सत्यनिष्ठा समझौते की विधिमान्यता हस्ताक्षर करने की तारीख से 5 (पाँच) वर्षों तक तथा वारंटी अवधि सहित, दोनों क्रेता और बोली लगानेवाले के संतोष के अनुरूप संविदा के संपूर्ण निष्पादन तक, जो भी बाद में हो, होगी। यदि बोली लगानेवाला सफल नहीं होता, तो यह सत्यनिष्ठा समझौता बोली को खोलने की तारीख से छह महीने के बाद समाप्त होगा।

11.2 यदि इस समझौते का कोई एक या कई उपबंध अमान्य हो जाते हैं, तो इस समझौते का शेष भाग विधिमान्य रहेगा। इन स्थितियों में, उक्त पक्षकार अपने मूल उद्देश्यों तक एक करार करने के लिए प्रयास करेंगे।

12 **उक्त पक्षकार इसके द्वारा इस सत्यनिष्ठा समझौते पर _____ में _____, 2024 को हस्ताक्षर करते हैं**

क्रेता	**बोली लगानेवाला**
महाप्रबंधक, पालिसीधारक संरक्षण और शिकायत निवारण विभाग, भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण, सर्वे सं. 115/1, फाइनैंशियल डिस्ट्रिक्ट, नानकरामगुडा, हैदराबाद 500 032	प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम पदनाम आवेदक का नाम
साक्षी 1. _____ 2. _____	साक्षी 1. _____ 2. _____